घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 23, अंक - 18- शुक्रवार 20- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

विकसित भारत को आगे रख दीर्घकालिक निवेश पर विचार करे उद्योग जगत : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 2026। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को देश के उद्योग जगत से विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि अब समय यह तय करने का है कि भारतीय उद्योग अगले 20 वर्षों में क्या हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने दीर्घकालिक निवेश निर्णय में भारत प्रथम को सोच का आधार बनाना होगा। देश के आत्मनिर्भर बनने पर व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उद्योग संघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का दिल्ली के भारत मंडप में उद्घाटन किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार को दोस्त सरकार के तौर पर प्रस्तुत करते हुए उद्योग जगत से कहा कि वे सुधारों पर बिना झिझक अपनी राय प्रकट करें। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के अनुभव के कारण उद्योग जगत अपनी राय प्रकट करने में संकोच करता है। उन्होंने कहा...'पुरानी सरकारों का उद्योग जगत का अनुभव इतना खट्टा है कि उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है।

यह पुरानी सरकार नहीं है, यह दोस्त सरकार है। यह दोस्ती निभाना जानती है और आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। इसलिए बिना संकोच, बिना झिझक,मुझे खुलकर लिखकर भेजिए कि अभी भी क्या सुधार जरूरी है।



मेरी मत सुनो गांधीजी की तो सुनो : मोदी

मोदी ने कहा,'गांधी जी स्वदेशी अपनाने का संदेश दे गए। एक सदी बीत जाने के बाद भी यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। आखिर उद्योग जगत को आज भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का महत्व क्यों याद दिलाना पड़ रहा है। सोचिए,100 साल बीत चुके हैं। इतने साल बाद आज मुझे भी वही बात दोहरानी पड़ रही है। क्या यह आपकी सफलता है या विफलता मेरी बात मत मानिए,कम से कम गांधीजी की तो मानिए भाई।'

140 करोड़ भारतीयों को हल्के में न लें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे 140 करोड़ भारतीयों को हल्के में न लें। उन्हें अपना पक्का ग्राहक न मानें। उन्होंने कहा कि कंपनियों यह सोचने के बजाय कि वे उत्पाद बनाएंगी,उसे भारतीय बाजार में खरीदार मिल ही जाएंगे। कंपनियां ये सोचें कि उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है और ये प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं,या नहीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत को यह विचार करना चाहिए कि भारत में कौन-से ऐसे निर्माण घटक हैं जिनका भारत में ही निर्माण एवं उत्पादन संभव है। उन्होंने इस संदर्भ में फार्मा उद्योग का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' कहते हैं,इसके बावजूद भारत हर साल एपीआई,बल्क ड्रग्स और ड्रग्स इंटरमीडिएट्स का बिलियंस ऑफ डॉलर का इंपोर्ट करता है। उन्होंने कहा,'ऐसी सैकड़ों कैटेगरी हैं, जिनमें हम आज इंपोर्ट पर निर्भर हैं। हमारी फार्मा इंडस्ट्री को समझना होगा कि ऐसे कौन-से इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन्हें हम भारत में बना सकते हैं।

प्रोडक्ट अच्छा हो,इसलिए हम एक्सपोर्ट क्वालिटी देखते हैं

पीएम ने कहा...'आप कस्टमर्स से कहते हैं, अरे लीजिए एक्सपोर्ट क्वालिटी है। आप देश के लोगों को क्या समझते हो भाई? क्या वो अच्छी क्वालिटी का हकदार नहीं है क्या? आज भी आपको ग्राहक को कहना पड़ता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है। उसको भी लगता है,उन लोगों के लिए होगी तो अच्छी होगी। इस सोच को बदलना होगा। मेरे देशवासी क्वालिटी के हकदार हैं।'

10 साल में देश के लिए क्या करेंगे,ये सोचें

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 100 साल का इंतजार करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि अगले 10 साल में देश के विकास के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। मोदी ने कहा कि कारोबारी बिना झिझक अपनी समस्याएं और सुधारों से जुड़े सुझाव दें। सरकार उनके साथ खड़ी है।

राहुल अमेरिका में बोले...2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था...लेकिन चुनाव का कभी बायकॉट नहीं करेंगे,ऐसा करते ही लोकतंत्र खत्म हो जाएगा

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 2026। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव वैध नहीं था। इसमें कई फर्जी मतदाता थे। उन्होंने दावा किया कि एक ब्राजीलियाई महिला, जो कभी भारत नहीं आई, उसने एक विधानसभा चुनाव में 23 बार वोट डाला। राहुल से पूछा गया कि चुनाव में गड़बड़ी के बावजूद विपक्ष उनका बायकॉट क्यों नहीं करता? इस पर उन्होंने कहा, 'भारतीय लोकतंत्र हमारे लिए पवित्र है। अगर हमने चुनावों का बायकॉट करने का फैसला किया, तो उसी पल भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।

हम लोकतंत्र को खत्म नहीं करना चाहते। हमारी स्ट्रैटजी है कि हम लड़ें और भारत के लोगों को बताएं कि देश में क्या चल रहा है।' राहुल गांधी ने यह बात गुरुवार को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ हुए संवाद के दौरान कही। राहुल दो दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। राहुल ने कहा- हम जानबूझकर चुनावी बहिष्कार का कदम नहीं उठा रहे हैं और हमें भरोसा है। चुनाव आयोग खुद अब अंदर से हमें जानकारी दे रहा है। इसलिए यह ढांचा कब ढहेगा, यह सिर्फ समय की बात है। चुनाव आयोग में वरिष्ठ लोग अब कह रहे हैं कि हम यह और नहीं कर सकते।'



गैर-लोकतांत्रिक भारत स्वीकार नहीं : राहुल

हम गैर-लोकतांत्रिक भारत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। यह भारत के अधिकांश लोगों की भावना है।

लोग बिना डरे अपनी बात कह सकें : राहुल

विपक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों की बिना डर अपनी बात कहने की सबसे बड़ी ताकत फिर से बहाल हो। यह ताकत आगे भी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनी रहेगी। हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम यह लड़ाई जीत रहे हैं।

2024 के चुनाव की वैधता पर सवाल : राहुल

2024 के लोकसभा चुनाव भी वैध नहीं थे। 2024 के चुनाव में मतदाता अवैध थे। कई फर्जी मतदाता थे। ऐसे में चुनाव वैध कैसे हो सकते हैं। मैं फिर बताऊंगा कि एक ब्राजीलियाई महिला, जो कभी भारत नहीं आई, उसने भारत में एक विधानसभा चुनाव में 23 बार मतदान किया।

भारत अमीर देश,लेकिन स्वच्छता में खराब,वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा न हो तो देश की इमेज खराब होती है : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,19 नवम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हमारा प्रदर्शन खराब है। खराब स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का असर समाज और देश की इमेज पर पड़ता है। कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू नहीं होने पर चिंता जताई। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नगर निगमों की पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू करने की निगरानी के लिए शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें काम शुरू करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टरों को अपने क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्हें यह काम स्थानीय निकायों के साथ मिलकर करना होगा। संविधान में शक्तियों का बंटवारा उसकी मूल संरचना का हिस्सा है। संसद ने एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 बनाया है। कार्यपालिका ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स,2026 बनाए हैं। कानून और नियम मौजूद होने के बावजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और 2026 का प्रदर्शन संसद के तय लक्ष्य से कम है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार का संरक्षक है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश देने की जिम्मेदारी उठाई है।



देश की असली ताकत उसके लोग,इंदिरा गांधी मानती थीं शांति,आजादी और विकास एक-दूसरे से जुड़े : सोनिया गांधी

नई दिल्ली,19 नवम्बर 2026। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि देश की असली ताकत उसके लोग होते हैं। इंदिरा गांधी का मानना था कि शांति, आजादी और विकास एक-दूसरे से जुड़े हैं और इनका फायदा गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सोनिया गुरुवार को दिल्ली में 2025 के इंदिरा गांधी शांति,निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार समारोह में बोल रही थीं। उन्होंने मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता और समाजसेवी ग्रासा माशेल को यह पुरस्कार दिया। यह समारोह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। सोनिया ने कहा कि ग्रासा माशेल का जीवन और काम इंदिरा गांधी के विचारों को दिखाता है। उन्होंने मोजाम्बिक की आजादी की लड़ाई से लेकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि ग्रासा माशेल के काम के नतीजे आज भी मानवीय सहायता से जुड़े अभियानों के लिए मार्गदर्शक हैं। शांति का मतलब सिर्फ संघर्ष या लड़ाई का खत्म होना नहीं है। इससे प्रभावित समुदायों को दोबारा अपना जीवन खड़ा करने और भविष्य की ओर बढ़ने का मौका भी मिलना चाहिए। सोनिया ने कहा कि इंदिरा गांधी और ग्रासा माशेल दोनों मानती थीं कि लोग अपना भविष्य खुद तय करने की ताकत रखते हैं। उनके जीवन से सीख मिलती है कि नेतृत्व का मतलब अन्याय को चुनौती देने का साहस और बदलाव लाने की प्रतिबद्धता है।



थोक विक्रेताओं को लेना होगा अलग लाइसेंस,एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एनडीपीएस दवाओं की बिक्री पर भी नजर

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 2026। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने थोक में बेची जाने वाली बल्क दवाओं (सक्रिय और निष्क्रिय औषधीय पदार्थों) के लिए अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स,1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद बल्क दवाओं के थोक कारोबार के लिए अलग आवेदन और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही बढ़ाना और उनके वितरण पर नियामकीय नियंत्रण मजबूत करना है। मंत्रालय की ओर से 02 नवंबर को जारी मसौदा गजट अधिसूचना संख्या जीएसआर 987 (ई) के तहत नया आवेदन फॉर्म-19-बीसी और लाइसेंस फॉर्म-20-बीसी शुरू करने का प्रस्ताव है। फिलहाल मौजूदा व्यवस्था में एक ही लाइसेंस के तहत दवाओं के फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स,दोनों की थोक बिक्री की अनुमति मिलती है। नई व्यवस्था में इन दोनों के लिए अलग-अलग लाइसेंसिंग प्रावधान होंगे।

कश्मीर अब स्थानीय आतंकियों से मुक्त...देश से आतंकवाद-आर्गनाइज्ड क्राइम खत्म कर देंगे,भगोड़े अपराधियों को भारत लाना जरूरी : शाह

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर अब भारत में पैदा हुए स्थानीय आतंकियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में कही। शाह के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद यह स्थिति बनी है।

सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मुठभेड़ के दौरान लतीफ भट को मार गिराया। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम था और वह 11 नवंबर को सीआरपीएफ पोस्ट पर हुए हमले में वांटेड था। इस हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के तीन जवान घायल हुए थे। शाह ने कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा पड़ाव है।

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति

अमित शाह ने कहा...'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। यह नीति सकारात्मक नतीजे दे रही है।' उन्होंने कहा, 'लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर अब भारत में पैदा हुए स्थानीय आतंकियों से मुक्त है। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा पड़ाव है।' आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाना जरूरी है। शाह ने कहा कि संगठित अपराध और ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए भी यह जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है।



आतंकी फंडिंग नेटवर्क तोड़ने पर जोर

शाह ने कहा कि पूरे आतंकी फंडिंग नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। इसके लिए वित्तीय जांच से जुड़ी एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है और इससे लगातार मुकाबला कर रहा है। अलग-अलग राज्यों की पुलिस ने कई प्रयास किए, लेकिन उनके बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई देती थी। शाह के मुताबिक, लगातार सरकारों के कार्यकाल में इन कमियों को दूर करने के प्रयास हुए। अब देश में हर पुलिस स्टेशन तक आतंकवाद से निपटने की एक समान रणनीति लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक देश में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नेटवर्क पर कार्रवाई का उदाहरण दिया...

शाह ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेटवर्क को तोड़ने को समन्वित कार्रवाई का बड़ा उदाहरण बताया।, उन्होंने कहा कि 11 राज्यों की पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक ही रात में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। शाह के मुताबिक, यह अभियान पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया है।

दो दिन चलेगा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन

अमित शाह ने गुरुवार को दो दिन चलने वाले इस अहम आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें सीमा पार आतंकवाद पर चर्चा होगी। सम्मेलन में भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाने और संस्थागत क्षमता मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उभरती चुनौतियों का सामना करना है। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों और आतंकवाद रोधी काम से जुड़े विभागों के अधिकारी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कानून, फोरेंसिक और टेक्नोलॉजी समेत जुड़े क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी सम्मेलन में मौजूद हैं। यह सम्मेलन हर साल आयोजित होता है। यह आतंकवाद रोधी अभियानों से जुड़ी पुलिस और एजेंसियों के साथ तकनीकी,कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों की अहम बैठक बन चुका है। इसमें एजेंसियों और सुरक्षा बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और आतंकवाद से पैदा होने वाले खतरों पर मिलकर चर्चा का मौका मिलता है।

ट्रम्प-जिनपिंग और पुतिन की पहली बार एक साथ मीटिंग... जिनपिंग बोले...परमाणु हथियार इंसान के सिर पर लटकती तलवार,इन्हें खत्म करें

शेनझेन,19 नवम्बर 2026। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प,चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के शेनझेन शहर में ऐतिहासिक बैठक की। यह पहली बार हुआ जब तीनों नेताओं ने एक साथ त्रिपक्षीय बैठक की। मीटिंग में सबसे पहले परमाणु हथियारों के खतरों पर बातचीत हुई। जिनपिंग ने परमाणु हथियारों को इंसानियत के सिर पर लटकती तलवार बताया। उन्होंने कहा कि इन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। पुतिन ने कहा कि रूस, चीन और अमेरिका तीनों ने दूसरे विश्व युद्ध में जीत हासिल की थी। इसलिए दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इन तीनों देशों की है। ट्रम्प ने कहा कि वे इस बात से बेहद खुश हैं कि तीनों देशों के बीच पहली बार त्रिपक्षीय बैठक हो रही है। यह इतिहास रचने जैसा है।



तीनों देशों ने साझा शांति घोषणा जारी की

तीनों देशों ने दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार की। जिनपिंग ने शीत युद्ध वाली सोच छोड़ने की अपील की। पुतिन ने कहा कि तीनों देश मिलकर वैश्विक स्थिरता बढ़ा सकते हैं। ट्रम्प ने कहा कि मतभेद होने के बावजूद नेताओं को बातचीत नहीं छोड़नी चाहिए।

दुनिया में एनर्जी की सप्लाई बनाए रखने पर सहमति

तीनों देशों ने दुनिया में ऊर्जा की सप्लाई स्थिर बनाए रखने के महत्व पर सहमति जताई। फरवरी में अमेरिका के ईरान पर हमले और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हुई है। यूक्रेन के रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों से भी तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। घोषणा में ईरान युद्ध का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया। ट्रम्प ने केवल यह दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जा सकते।

परमाणु हथियारों का खतरा कम करने पर सहमति

तीनों देशों ने परमाणु हथियारों के खतरे को कम करने के लिए बातचीत करने, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और दुनिया की रणनीतिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने पर सहमति जताई।

राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम कर रहे : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली,19 नवम्बर 2026। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयानों को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर राहुल गांधी के बयानों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब देश का नेता प्रतिपक्ष विदेश जाकर भारत के बारे में तथ्यहीन और गलत बातें करता है, तो आपत्ति दर्ज कराना जरूरी हो जाता है। राहुल गांधी अमेरिका और दूसरे देशों में जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने की बात करते हैं, जबकि पूरी दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार कर रही है। रिजिजू ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी भारत की आर्थिक प्रगति को स्वीकार कर रही हैं। इन संस्थाओं का कहना है कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ऐसे में राहुल गांधी का भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए और देश की उपलब्धियों को कमतर दिखाने से बचना चाहिए। राहुल गांधी के भारत में लोकतंत्र और वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए रिजिजू ने कहा कि यदि देश में लोकतंत्र नहीं होता तो राहुल गांधी पूरे दिन विरोध प्रदर्शन कैसे कर पाते और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा तथा सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कैसे कर पाते?



भारत-जापान टू प्लस टू : मनमाने निर्यात प्रतिबंधों पर चिंता,विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर तथा जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजीरो ने गुरुवार को टोक्यो में चौथी भारत-जापान टू प्लस टू विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक में मंत्रियों ने मनमाने निर्यात प्रतिबंधों सहित आर्थिक दबाव और गैर-बाजार नीतियों एवं प्रथाओं के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं को दोहराया। इनके कारण महत्वपूर्ण उद्योगों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं। मंत्रियों ने एक स्वतंत्र, खुले और कानून के शासन पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। साथ ही बल प्रयोग या धमकी का सहारा लिए बिना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि मंत्रियों ने क्वाड पहलों को पूरक और सुदृढ़ बनाने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारों को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का लाभ उठाने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। मंत्रियों ने भारत में फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। इसके तहत जापान की आत्मरक्षा सेना पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों सहित अन्य हथियारों का लाइव फायरिंग अभ्यास करेगी। दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने यूनिकॉर्न से जुड़ी व्यवस्थाएं जल्द तैयार करने और फरवरी 2027 तक भारत से आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) मिलने की उम्मीद जताई। इसके लिए 'जापान में डिजाइन, भारत में निर्माण' के ढांचे को आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके तहत समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली तेज गति वाली केबल नेटवर्क व्यवस्था के विकास में सहयोग बढ़ाया जाएगा। उन्होंने साइबर सुरक्षा से जुड़े मौजूदा समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण करने और भारत-जापान साइबर संवाद का अगला दौर जल्द आयोजित करने के निर्देश दिए। दोनों देशों ने भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला बनाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। साथ ही हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई), महासागर पहल और अद्यतन मुक्त एवं खुला हिंद-प्रशांत (एफओआईपी) के बीच तालमेल बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।



संपादकीय

झूठ की राजनीति

अपनी विदेश यात्राओं के समय मोदी सरकार को सिरे से नाकाम बताना और भारत को समस्याओं से घिरा हुआ करार देना राहुल गांधी की अनिवार्य प्राथमिकता बन गई है। इसकी पुष्टि उन्होंने न्यूयार्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को संबोधित करते समय भी की। उन्होंने भारत को आर्थिक आपदा की कगार पर खड़ा बताया। ऐसा उन्होंने तब कहा,जब एक के बाद एक कई रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अपने अनुमान को बढ़ाया है। जहां मूडीज और एसएंडपी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर के अपने अनुमान को बढ़ाकर सात प्रतिशत किया, वहीं एक अन्य रेटिंग एजेंसी फिच ने अपने 6.4 प्रतिशत के अनुमान को 6.9 प्रतिशत किया। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी मोदी सरकार के नीतिगत सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक ऊर्जा और वित्तीय झटकों का सफलतापूर्वक सामना कर रहा है। आइएमएफ ने यह भी स्पष्ट किया था कि घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की बेहतर गतिविधियों,अनुकूल जनसांख्यिकी और लगातार हो रहे संरचनात्मक सुधारों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। राहुल गांधी और उनके सलाहकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि आइएमएफ, एडीबी समेत रेटिंग एजेंसियां भारत की नहीं हैं,पर संभवतः उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। चूंकि राहुल गांधी पर मोदी सरकार की निराधार आलोचना करने की धुन सवार है, इसलिए वे तथ्यों की अनदेखी करना पसंद करते हैं। वे इस सच से जानबूझकर मुंह चुरा रहे हैं कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नतीजों के बाद जब दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई, तब भारतीय शेयर बाजार में उछाल दर्ज की गई और रुपये ने भी कुछ मजबूती हासिल की। राहुल ने तो खुद शेयरों में निवेश कर रखा है, लेकिन लगता है उन्हें झूठ का सहारा लेने की आदत पड़ गई है। जब कोई नेता तथ्यों से मुंह मोड़ता है या फिर किन्हीं समस्याओं को लेकर अतिरंजित और थोथे दावे करता है तो अपनी विश्वसीनयता ही खोता है। राहुल गांधी ठीक यही कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों की वैधता पर भी सवाल उठा दिया। यह इसलिए हास्यास्पद है कि 400 पार का दावा कर रही भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई थी और विपक्ष का दर्जा हासिल करने को तरस रही कांग्रेस 99 सीटें पा गई थी। इसी कारण राहुल नेता प्रतिपक्ष का पद पा सके, लेकिन अब वे एसआइआर को वोट चोरी बताने के साथ ही बीते लोकसभा चुनावों के नतीजों को भी खारिज कर रहे हैं। यदि उन्हें इन नतीजों पर सच में यकीन नहीं तो फिर क्या यह उचित नहीं होगा कि वे नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दें?

हिंसा,शोषण और अभाव से मुक्त हो भारत का बचपन



ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

हम में से प्रत्येक को बच्चों के अधिकारों की वकालत करने,उन्हें बढ़ावा देने,उनके शोषण को रोकने,उनका समग्र विकास करने और बच्चों का उत्सव मनाने के लिए एक प्रेरणादायी अवसर के रूप में विश्व बाल दिवस है,यह उस समाज की आत्मपरीक्षा का अवसर है,जो अपने भविष्य को बच्चों की आंखों में देखता है। 20 नवंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चे केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं,बल्कि राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। वर्ष 2026 की थीम मेरा दिन,मेरे अधिकार,मेरा भविष्य है। इसी बुनियादी प्रश्न को सामने रखती है कि क्या हमारे बच्चों को वास्तव में अपने अधिकारों के साथ जीने,सपने देखने और अपना भविष्य गढ़ने का अवसर मिल रहा है? भारत में बचपन की तस्वीर विरोधाभासों से भरी है। एक ओर महानगरों के वातानुकूलित कमरों में पलते बच्चे आधुनिक शिक्षा,तकनीक और सुविधाओं से घिरे हैं,तो दूसरी ओर फुटपाथ,झुग्गियों,कारखानों,ढाबों और खेतों में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके हाथों में किताब की जगह औजार हैं। किसी बच्चे के लिए बचपन खेल,शिक्षा और परिवार का स्नेह है,तो किसी के लिए भूख,श्रम, हिंसा और असुरक्षा से जूझने का नाम। यह असमानता केवल आर्थिक नहीं,बल्कि मानवीय संवेदना की भी परीक्षा है।

सबसे गंभीर चुनौती बाल हिंसा और मानसिक दबाव की है। हिंसा का अर्थ केवल बच्चे को पीटना नहीं है। लगातार डांटना,अपमानित करना,डराना,उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करना,उसकी इच्छा और प्रतिभा को नकारना तथा हर समय परिणाम का दबाव बनाना भी हिंसा के ही रूप हैं।आज अनेक अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर,आईएएस या किसी प्रतिष्ठित पेशे में जाए। महत्वाकांक्षा गलत नहीं,लेकिन जब माता-पिता की अधूरी इच्छाओं का बोझ बच्चे के कंधों पर रख दिया जाता है,तब शिक्षा विकास का माध्यम न रहकर तनाव का कारण बन जाती है। स्कूल भी इससे अछूते नहीं हैं। अनुशासन के नाम पर अपमान,डर और कठोरता बच्चे के व्यक्तित्व को भीतर से तो सकती है। जिस विद्यालय में बच्चे को प्रश्न पूछने, गलती करने और फिर सीखने का अवसर मिलना चाहिए,वहां भय का वातावरण उसकी रचनात्मकता को कुंठित कर देता है। हमें यह समझना होगा कि डर से आज्ञाकारी बच्चा तो बनाया जा सकता है,लेकिन आत्म विश्वासी नागरिक नहीं।



प्रतीकात्मक: दैनिक घटती-घटना

भारत में बाल मजदूरी,बाल तस्करी,यौन शोषण और भिक्षावृत्ति जैसी समस्याएं आज भी हमारी सामूहिक चेतना एवं राजनीतिक नेतृत्व पर प्रश्नचिह्न हैं। आर्थिक मजबूरी के कारण अनेक बच्चे शिक्षा से दूर होकर श्रम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कुछ खतरनाक उद्योगों और असुरक्षित कार्यस्थलों पर काम करने के लिए विवश होते हैं। कई बच्चे तस्करी के जाल में फंसकर अपने परिवार और बचपन दोनों से दूर हो जाते हैं। सबसे पीड़ादायक स्थिति उन बच्चों की है जिन्हें अपराध,भीख या यौन शोषण के अंधेरे में धकेल दिया जाता है। इन परिस्थितियों में उनसे केवल उनका वर्तमान नहीं छीना जाता,बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी छीन ली जाती हैं। गरीबी बचपन की सबसे बड़ी चुनौती है,लेकिन गरीबी से भी बड़ी समस्या है अवसरों की असमानता। यदि किसी गरीब परिवार का बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,पोषण,स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण से वंचित रहता है तो वह अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कैसे करेगा? विकसित भारत का सपना तभी वास्तविक होगा जब विकास की रोशनी गांव,झुग्गी,श्रमिक परिवार और वंचित समुदाय के बच्चे तक पहुंचेगी। किसी राष्ट्र की प्रगति का सही पैमाना उसके सबसे कमजोर बच्चे की स्थिति है।

इसलिए बाल अधिकारों को केवल कानून की पुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय घर,स्कूल और समाज की संस्कृति का हिस्सा बनाना होगा। बच्चे को यह विश्वास होना चाहिए कि वह अपनी समस्या बिना भय के माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति से कह सकता है। परिवार में संवाद की परंपरा विकसित करनी होगी। माता-पिता को बच्चों के साथ केवल उनकी पे ई और परीक्षा की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके डर,मित्रता,सपनों, असफलताओं और भावनाओं को भी सुनना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षा का लक्ष्य केवल अंक और रोजगार नहीं,बल्कि संवेदनशील, आत्मनिर्भर,नैतिकऔर मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य बनाना होना चाहिए। बच्चों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों,संविधान,लैंगिक सम्मान,डिजिटल सुरक्षा,आत्म रक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जाना चाहिए। सरकार को बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ बाल श्रम,तस्करी और यौन अपराधों के विरुद्ध तंत्र को और मजबूत करना होगा। गरीब बच्चों की शिक्षा,पोषण और स्वास्थ्य को आर्थिक सहायता से जोड़ना भी जरूरी है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पड़ोस में किसी बच्चे से दुर्व्यवहार हो रहा हो,किसी दुकान या कारखाने में बाल मजदूर दिखाई दे,कोई बच्चा लगातार भय में जी रहा हो या उसके साथ शोषण की आशंका हो,तो हमें क्या लेना-देना है कहकर आगे बढ़ जाना सामाजिक अपराध के प्रति मौन स्वीकृति है। बच्चे की रक्षा के लिए समाज को संवेदनशील प्रहरी बनना होगा।

विश्व बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के सामने उभरती नई चुनौतियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भी एक गंभीर विषय बनकर सामने आई है। एआई शिक्षा,रचनात्मकता और ज्ञान-विस्तार का प्रभावी साधन हो सकता है,लेकिन उसका अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग बच्चों की सोचने-समझने की मौलिक क्षमता,कल्पनाशक्ति,एकाग्रता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। चैटबॉट पर अत्यधिक निर्भरता बच्चों को स्वयं प्रश्न पूछने,उत्तर खोजने और गलतियों से सीखने की प्रक्रिया से दूर कर सकती है। साथ ही, एआई से बने भ्रामक या अनुपयुक्त कंटेंट,डीपफेक,साइबर बुलिंग,ऑनलाइन शोषण,निजता के खतरे और बच्चों के मानसिक संसार पर बढ़ते डिजिटल दबाव जैसी चुनौतियां भी चिंता का विषय हैं। इसलिए आज आवश्यकता केवल बच्चों को एआई से परिचित कराने की नहीं,बल्कि उन्हें एआई के सुरक्षित,संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की शिक्षा देने की है,ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बच्चों की बुद्धि का विकल्प नहीं,बल्कि उनकी प्रतिभा और रचनात्मकता को विकसित करने का सहायक माध्यम बने।

विश्व बाल दिवस का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब भारत में ऐसा वातावरण बने जहां हर बच्चा सुरक्षित हो,सुना जाए,सम्मान पाए,पढ़ सके,खेल सके,अपनी प्रतिभा विकसित कर सके और बिना भय के सपने देख सके। हमें बच्चों को अपने सपनों के अनुसार जीने का अवसर देना होगा,अपने सपनों के अनुसार ढालने का नहीं। बचपन किसी राष्ट्र की प्रतीक्षा करती हुई सुबह है। यदि उस सुबह पर हिंसा,शोषण,भूख और भय के बादल छा गए तो विकसित भारत का सूर्योदय अधूरा रहेगा। इसलिए आज जरूरत केवल बाल दिवस मनाने की नहीं,बल्कि बचपन को बचाने की है। जिस दिन भारत के हर बच्चे की आंखों में भय की जगह विश्वास,हाथों में श्रम की जगह किताब और होंठों पर शिकायत की जगह मुस्कान होगी उसी दिन हम कह सकेंगे कि हमने विश्व बाल दिवस की भावना को वास्तव में आत्मसात किया है।

बचपन सुरक्षित होगा,तभी भविष्य मुस्कुराएगा

बच्चों के सपनों को मिले खुला आसमान



योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

बाल दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को मनाया जाता है लेकिन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस 20 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस हमें बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष यह दिवस'मेरा दिन,मेरे अधिकार,मेरा भविष्य' विषय के साथ मनाया जा रहा है,जो यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि सभी बच्चों की शिक्षा,स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सहित उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंच हो। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना,उनकी समस्याओं को हल करना,उनके कल्याण के लिए काम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। बाल दिवस दुनियाभर में 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी माह से लेकर दिसम्बर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवम्बर 1954 को 'विश्व बाल दिवस'मनाए जाने की घोषणा की गई थी,जिसका उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें,जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। सर्वप्रथम बाल दिवस जेनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्वभर में अक्तूबर 1953 में मनाया गया था। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार वी के कृष्ण मेनन का था,जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वभर के तमाम देशों से अपील की गई थी कि वे अपनी परम्पराओं,संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई एक ऐसा दिन सुनिश्चित करें,जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। वैसे तो बाल दिवस मनाए जाने की शुरूआत वर्ष 1925 से ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो इसे दुनियाभर में मान्यता मिली 1953 में।

दुनियाभर में बाल दिवस के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य,शिक्षा,बाल मजदूरी इत्यादि बच्चों के अधिकारों के प्रति जगरूक करने का प्रयास किया जाता है।



माना जाता है कि सबसे पहले बाल दिवस तुर्की में मनाया गया था। आइए देखते हैं कि दुनियाभर में किन देशों द्वारा कब बाल दिवस मनाया जाता है। जनवरी के पहले शुक्रवार को बहामास में,11 जनवरी को ट्यूनिशिया,जनवरी के दूसरे शनिवार को थाईलैंड,फरवरी के दूसरे रविवार कुक द्वीप समूह, नाउरू,निउए,टोकेलौ तथा केमन द्वीप समूह में,13 फरवरी को म्यांमार,मार्च के पहले रविवार को न्यूजीलैंड,17 मार्च को बांग्लादेश, 4 अप्रैल को चीनी ताइपे, हांगकांग, 5 अप्रैल को फिलीस्तीन,12 अप्रैल को बोलिविया तथा हैती,23 अप्रैल को तुर्की,30 अप्रैल को मेक्सिको,5 मई को दक्षिण कोरिया तथा जापान,मई के दूसरे रविवार को स्पेन तथा यूके,10 मई को मालदीव,17 मई को नार्वे,27 मई को नाईजीरिया,मई के आखरी रविवार को हंगरी,1 जून को चीन सहित कई देशों में बाल संरक्षण दिवस के रूप में,1 जुलाई को पाकिस्तान,जुलाई के तीसरे रविवार को क्यूबा,पनामा,वेनेजुएला,23 जुलाई को इंडोनेशिया,अगस्त के पहले रविवार को उरुग्वे,16 अगस्त को पैराग्वे,अगस्त के तीसरा रविवार को अर्जेन्टीना तथा पेरू, 9 सितम्बर कोस्टा रीका,10 सितम्बर को हौण्डुरस,14 सितम्बर को नेपाल,20 सितम्बर को आस्ट्रिया तथा जर्मनी,25 सितम्बर को नीदरलैंड,1 अक्तूबर को अल साल्वाडोर,ग्वाटेमाला तथा श्रीलंका,अक्तूबर के पहले बुधवार को चिली,अक्तूबर के पहले शुक्रवार को सिंगापुर,8 अक्तूबर को ईरान,12 अक्तूबर को ब्राजील,अक्तूबर के चौथे शनिवार को मलेशिया,अक्तूबर के चौथा रविवार को आस्ट्रेलिया,नवम्बर के पहले शनिवार को दक्षिण अफ्रीका, 20 नवम्बर को अजरबैजान, कनाडा,साइप्रस,मिस्र,इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आयरलैंड, इजराइल,केन्या,मैसिडोनिया, नीदरलैंड,फिलीपींस, सर्बिया,स्लोवेनिया,दक्षिण अफ्रीका,स्पेन,स्वीडन,स्विट्जरलैंड,संयुक्त अरब अमीरात,त्रिनिदाद व टोबेगो,5 दिसम्बर को सूरीनाम,23 दिसम्बर को सूडान तथा 25 दिसम्बर कांगो गणराज्य,कैमरून तथा भूमध्यरेखीय गिनी में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है।

बहरहाल,विश्व बाल दिवस पर हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि बच्चों का भविष्य उनके आज पर निर्भर करता है, जिसके लिए हमें ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले,बाल श्रम और शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखारने के पर्याप्त अवसर मिलें,उन्हें सुरक्षित,स्वस्थ और पोषित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भारत में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, जिनमें बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986,शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009,पॉक्सो एक्ट 2012 प्रमुख रूप से शामिल हैं। मिड-डे मील योजना और आंगनवाड़ी सेवा जैसी योजनाएं भी बच्चों के पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी-अपनी सहूलियत के आधार पर विभिन्न देशों द्वारा भले ही अलग-अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाया जाता है लेकिन हर जगह बाल दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि इसके जरिये लोगों को बच्चों के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके और बच्चों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।

यमुना का मुफ्त स्वीट्जरलैंड

मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी भी त्रासदी को उत्सव में और किसी भी जहर को अमृत में बदलने की अद्भुत बौद्धिक क्षमता रखता है। दुनिया भर के पर्यावरणविद जिस दृश्य को देखकर अपना सिर पीट रहे थे, हमारी आस्था की दिव्य दृष्टि ने उसमें साक्षात बैकुंठ के दर्शन कर लिए। दिल्ली की यमुना नदी में छठ महापर्व के अवसर पर तैरता हुआ वह विशाल,घना और श्वेत झाग कोई साधारण रासायनिक कचरा नहीं था। वह तो हमारे नगर निगम और औद्योगिक विकास की संयुक्त साधना का वह उज्ज्वल परिणाम था,जिसने धरती पर ही बादलों का लोक रच दिया था। जब श्रद्धालु कमर तक उस धवल झाग में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे थे, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी प्रदूषित नदी में नहीं,बल्कि इंद्रलोक के मखमली बादलों के बीच खड़े होकर तपस्या कर रहे हों। साधारण बुद्धि वाले लोग इसे अमोनिया और फास्फेट का जानलेवा मिश्रण कहते हैं। वे बेचारे यथार्थ के कीचड़ में फंसे हुए प्राणी हैं। वे नहीं जानते कि जब विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है,तो वह अध्यात्म का रूप ले लेता है। नालों के माध्यम से प्रवाहित होने वाले डिटर्जेंट और कारखानों के रसायनों ने मिलकर जो कलाकृति यमुना की सतह पर उकेरी थी,वैसी कल्पना तो स्वयं विश्वकर्मा भी नहीं कर सकते थे।

एक दार्शनिक ने कहा था कि सत्य देखने वाले की आंखों में होता है। यदि आपकी आंखों पर विकास का चश्मा चढ़ा है,तो आपको इस झाग में प्रदूषण नहीं,बल्कि स्विट्जरलैंड की बर्फबारी दिखाई देगी। दिल्ली के नागरिकों को शिमला या मनाली जाने की क्या आवश्यकता है,जब स्वयं यमुना मैया उनके द्वार पर हिमालय के ग्लेशियर बहाकर ला रही हैं। कमर तक बर्फ जैसे सफेद फेन में खड़े होकर सूर्योपासना करने का यह सौभाग्य केवल राजधानी के निवासियों को ही प्राप्त हो सकता है। यह हमारे प्रशासनिक कौशल की पराकाष्ठा है कि बिना किसी अतिरिक्त बजट के नागरिकों को स्वर्ग जैसा अलौकिक अनुभव प्रदान किया जा रहा है।

इस दृश्य की भव्यता को समझने के लिए हमें अपनी संकीर्ण वैज्ञानिक सोच का त्याग करना होगा। जो लोग इसे गंदगी कहते हैं, वे दरअसल इस झाग के पीछे छिपे हुए गहन दर्शन को समझने में असमर्थ हैं। जीवन क्या है? जीवन भी तो पानी के बुलबुले और झाग के समान ही क्षणभंगुर है। यमुना का यह झाग हमें प्रतिपल इसी नश्वरता का बोध कराता है। जब भक्त हाथ में नारियल और सूप लेकर इस सफेद समंदर के बीच खड़े होते हैं,तो वे संसार के समस्त विकारों से ऊपर उठ जाते हैं। उन्हें न त्वचा के रोगों की चिंता रहती है और न ही फेफड़ों में जाने वाले जहरीले तत्वों का भय। आस्था की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह रासायनिक तत्वों के गुणधर्म को भी बदल देती है। विज्ञान की प्रयोगशाला में जो तत्व घातक सिद्ध होते हैं,घाट पर पहुंचते ही वे चरणामृत की महिमा प्राप्त कर लेते हैं। हमारी व्यवस्था की महानता देखिए कि उसने प्रकृति के नियमों को भी संशोधित कर दिया है। प्राचीन काल में नदियां केवल जल बहाया करती थीं। जल कितना नीरस और पारदर्शी होता है!

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

न्याय में देरी लोकतंत्र के विश्वास पर सबसे बड़ी चोट

समयबद्ध और सस्ता न्याय सुनिश्चित करना भारतीय न्याय व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकता

न्याय केवल न्यायालयों में होने वाली कानूनी प्रक्रिया का नाम नहीं है,बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता,नागरिकों के अधिकारों और संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। किसी भी सभ्य समाज में न्याय का वास्तविक महत्व तभी है,जब वह समय पर और प्रत्येक नागरिक की पहुँच में उपलब्ध हो। यदि किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वर्षों तक न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ें,आर्थिक संसाधन समाप्त हो जाएँ और न्याय मिलने से पहले ही उसका जीवन संघर्षों में बीत जाए,तो न्याय का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने लंबित मुकदमों का बढ़ता बोझ और सुनवाई में होने वाली देरी आज गंभीर चुनौती बन चुके हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालयों में शीघ्र सुनवाई न मिलने के कारण वादियों के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचने की चिंता इसी समस्या की गंभीरता को उजागर करती है। यह स्थिति बताती है कि न्यायिक व्यवस्था में केवल मुकदमों का निपटारा बढ़ाना पर्याप्त नहीं,बल्कि न्याय तक पहुँचने की प्रक्रिया को भी सरल,पारदर्शी और समयबद्ध बनाना आवश्यक है। भारत में न्यायिक देरी का सबसे प्रमुख कारण न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का रिक्त रहना है। न्यायालयों में उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या मुकदमों के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। परिणामस्वरूप मौजूदा न्यायाधीशों पर अत्यधिक कार्यभार पड़ता है। जब सीमित संख्या में न्यायाधीशों को बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई करनी पड़ती है,तो प्रत्येक मामले को पर्याप्त समय देना कठिन हो जाता है। नियुक्तियों में विलंब,चयन प्रक्रिया की जटिलताएँ और विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाएँ इस समस्या को और गंभीर बनाती हैं। न्यायिक पदों को लंबे समय तक रिक्त रखना अंततः आम नागरिक के न्याय पाने के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करता है। दूसरा बड़ा कारण न्यायालयों में लंबित मुकदमों की विशाल संख्या है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों तक मुकदमों का लगातार बढ़ता दबाव न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहा है। नए मुकदमों के आने की गति और पुराने मामलों के निस्तारण के बीच संतुलन स्थापित नहीं हो पा रहा है। कई मामलों में वादी और प्रतिवादी दोनों वर्षों तक निर्णय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। दीवानी विवादों,संपत्ति संबंधी मामलों,पारिवारिक विवादों और आपराधिक मुकदमों में देरी का प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होता है। आपराधिक मामलों में विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है,जबकि दीवानी मामलों में संपत्ति,व्यवसाय और पारिवारिक संबंध अनिश्चितता में फँसे रहते हैं।

डॉ. सत्यवान 'सौरभ'
भिवानी,हरियाणा

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

भगवान राम को राजनीति में घसीटना उचित नहीं



संजय गोस्वामी
मुंबई,महाराष्ट्र

आजकल उप्र के चुनाव में राम कृष्ण अब याद आ रहें हैं हर कोई कहता है मंदिर हमने बनवाया यह हम जो है आपको अहम् की ओर ले जाएगा क्रोधित होकर घमंड प्रवेश कर जाएगा मंदिर बनने या ना बनने से क्या होगा क्या राम और कृष्ण मंदिर बन जाने से आ जाते है फिर ऋषि मुनियों ने जो तप और लोक कल्याण किया और जब मंदिर नहीं था तो राम नहीं थे भगवान राम ने भी विनम्रता का परिचय देते हुए भगवान शंकर की पूजा कि जबकी रावण एक शिवभक्त था अब सवाल ये है कि इसके दम पर कथा कहानी से सही में राम आते है राम आये और सारा समय लोककल्याण में लगाया मर्यादा का परिचय दिया और अधर्म पर धर्म की स्थापना कि जो पहले कार सेवकों पर गोलियों की बारिश की क्या वो सही में राम भक्त हैं या वोट लेने के लिए दिखावा है राम कृष्ण में भेदभाव नहीं किया जा सकता तत्वदर्शी के अनुसार राम और कृष्ण एक ही है क्योंकि दोनों ने धर्म और प्रेम की राह पर चलना सिखाया और कभी इसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया और लोगो ने ही उन्हें उनके पराकर्म से भगवान बना दिया राम से आपको सिखने की जरुरत है ना की बरबोलेपन से अपना ही नुकसान करना होगा चुनाव में इसके सहारे कुछ समय के लिए टिक सकते हैं लेकिन अधिक समय तक नहीं क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता है इसलिए हमें व्यर्थ के विवेक से काम काम लेना चाहिए और जनता के लिए सिर्फ बातों से नहीं जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यता है आपने 2024 के एनडीए के लोकसभा चुनाव का हाल तो देखा होगा,जब राम नाम का इस्तेमाल चुनाव में होने लगा और ठीक उसी समय 500 सालों के बाद राम मंदिर बना,400 के पार का नारा भी लगा,और एनडीए 290 पर ही सिमट गई जिसमें दो सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू के ही 23 सीट थी जो कभी भी पाला बदल सकती थी और बीजेपी 240 सीट पर ही सिमट गई और जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाना भी गलत साबित हुआ भगवान राम के गढ़ में ही हार का सामना करना पड़ा बहुत मुश्किल से एनडीए की सरकार बची तब से माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आनेवाले किसी भी चुनाव में राम मंदिर के कार्य को उनकी ही कृपा समझी और इसपर कुछ नहीं बल्कि विकसित भारत पर ध्यान केंद्रित किया और उससे बचते रहें लेकिन ध्वजरोपण में अयोध्या गए प्रणाम किया लेकिन कोई भी राजनीती बयानबाजी नहीं की।



भगवान राम के लिए सभी के हैं ना तो वो जाति से बंधे है ना ही धर्म से वो मानवता लोगों की सेवा के लिए ही एक अच्छा गुरू भी है जिससे आपको सिखने की आवश्यकता है क्योंकि समय आपके नहीं उनके हाथ में है एक दोहा सुना होगा,मानो ना मानो मुंशी आपकी वो(भगवान राम) जिधर् भेज देंगे उधर जायेंगे,मन में अच्छा बुरा दोनों विचारों का सतत प्रबाह होता रहता है आपको क्या लेना है ये आपकी सोच पर निर्भर करता है भगवान राम एक आम इंसान की तरह पृत्वी पर आज सतत विराजमान हैं ये पहचान आपको करनी है सारी उम्र बीत जाने के बाद भी भगवान राम को आज तक जान पाना मुश्किल है राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया और सुप्रीम कोर्ट सरकार से अलग एक संविधानिक संस्थान है जो सबूत के आधार पर निर्णय देती है संवैधानिक सरकार एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सरकार की शक्तियां असीमित न होकर संविधान द्वारा निर्धारित और सीमित होती हैं। इसमें कानून का शासन सर्वोपरि होता है। जैसे ही राम मंदिर में विवादित स्थल का दरवाजा नेशनामूत हो गया तो 1992 से यह मामला अदालत में था जानकारों के अनुसार कोर्ट ने पहले यह देखा सही में राम का जन्म हुआ, मान लीजिये आपका कोई पुराना घर पर कोई अतिक्रमण हो गया है तो पहले अदालत यह देखती है क्या पहले सही में वो आदमी का ही घर था जिसके लिए पूर्वज उसपर दावा ठोक रहें हैं,भगवान राम का जन्म कब हुआ,रामायण काल में 5000 वर्ष पूर्व का है वहीँ वैज्ञानिक और खगोलीय शोधों (प्लेनेटेरियम सॉफ़्टवेयर गणनाओं) के अनुसार,श्री राम का जन्म 10 जनवरी,5114 ईसा पूर्व को दोपहर के समय हुआ था। वहीं, पारंपरिक और कुछ अन्य पंचांग गणनाओं में इन्हें त्रेतायुग के अलग-अलग कालखंड से जोड़ा जाता है। जहाँ भगवान राम की मुलो ात किष्किंधा में अपने प्रिय हनुमान से हुई और फिर माता सीता की खोज में भगवान राम के वानर सेना हेतु सुग्रीव से हुई जिसने बाली का पता बताया और उसको जीत कर ही वो विशाल वानर सेना प्राप्त कर सकते हैं और दोनों भाई में युद्ध हुआ भगवान राम ने तीर चला कर मोक्ष दिया और किष्किंधा का राजा सुग्रीव और पत्नी तारा के पुत्र अंगद से मिलकर हनुमान और जाम्बत से मिलकर लंका पर हमला करने की योजना बनाई उसके लिए राम सेतु पुल का निर्माण हुआ जो नासा के सेटेलाईट में आज भी दिखाई देता है जिसे एडम ब्रीज भी कहते हैं इसका वैज्ञानिक प्रमाण मिला जहाँ तक वानर सेना की बात हुई उस समय मनुष्य का जंगल इलाकों में उसी तरह का चेहरा था जो किष्किंधा यानि हम्पी में जो शिलालेख मिला उसमें ठीक उसी काल के हैं जिसमें आधा मनुष्य आधा वानर का रूप है आज किष्किंधा वर्तमान में कर्नाटक राज्य के हम्पी और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है। किष्किंधा से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं: भौगोलिक स्थिति- यह क्षेत्र कर्नाटक के कोप्पल और विजयनगर (बेल्लारी) जिलों में फैला हुआ है और तुंगभद्रा नदी (जिसे प्राचीन काल में पंपा नदी कहा जाता था) के किनारे स्थित है। वानर साम्राज्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, किष्किंधा वानरों के राजा बाली और सुग्रीव का साम्राज्य था।यहाँ प्रमुख स्थान अंजनाद्री पर्वत में भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। ऋष्यमूक पर्वत वह स्थान जहाँ श्रीराम और



रेल लाइन का सपना फिर सुर्खियों में,सरगुजा को अब घोषणाओं से आगे जमीन पर चाहिए रेल की पटरी

-न्यूज डेस्क-

अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

रेल के नक्शे पर सरगुजा की तस्वीर आज भी कुछ ऐसी है,मानो विकास की रेल यहां पहुंचने से पहले ही कहीं ठहर गई हो। दशकों से रेल सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे इस आदिवासी बाहुल्य अंचल के लिए एक बार फिर उम्मीद की खबर सामने आई है। ओडिशा के सरडेगा से छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव होते हुए अंबिकापुर तक प्रस्तावित रेल लाइन को विशेष रेल परियोजना में शामिल किए जाने की जानकारी ने क्षेत्र में नई उम्मीद जगाई है।

लगभग 218 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रेल लाइन यदि धरातल पर उतरती है तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के बीच रेल संपर्क का नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन सवाल केवल इतना नहीं है कि परियोजना को विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है, असली सवाल यह है कि क्या अब सरगुजा को वास्तव में रेल की सौगात मिलेगी या एक और घोषणा फाइलों और सर्वेक्षणों के बीच अपनी उम्र गुजार देगी? समाचार में उल्लेखित जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की बात कही गई है। प्रस्तावित रेल लाइन के माध्यम से ओडिशा के सरडेगा क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव और अंबिकापुर से जोड़ने की योजना है। इस रेल संपर्क का महत्व केवल यात्री परिवहन तक सीमित नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में कोयले के बड़े भंडार मौजूद हैं।

ऐसे में रेल लाइन बिछने से कोयला परिवहन,औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

एक प्रस्ताव के साथ दूसरे रेल संपर्कों की भी चर्चा : समाचार में सरडेगा-अंबिकापुर रेल लाइन के अलावा अंबिकापुर-गड़वा रोड रेल लाइन के प्रस्तावित स्टेशनों तथा रेणुकूट-अंबिकापुर-कोरबा रेल संपर्क का भी उल्लेख किया गया है। रेणुकूट-अंबिकापुर-कोरबा रेल लाइन के लिए अंतिम सर्वेक्षण पूरा होने और इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि इसे स्वीकृति मिलना और निर्माण की प्रक्रिया शुरू होना अभी अलग विषय है। उत्तर एवं मध्य छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को विस्तार देने वाली इन परियोजनाओं से सरगुजा,बलरामपुर और आसपास के क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है। लेकिन किसी परियोजना का सर्वेक्षण पूरा होना, प्रस्ताव तैयार होना अथवा विशेष रेल परियोजना में शामिल होना और वास्तव में रेल लाइन का निर्माण शुरू होना अलग-अलग चरण हैं। जनता को इन चरणों की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए,ताकि उम्मीद और वास्तविक प्रगति के बीच अंतर बना रहे।

घोषणाओं की गिनती नहीं,अब समयबद्ध कार्ययोजना चाहिए : सरगुजा को रेल सुविधा देने की चर्चा नई नहीं है। कभी सर्वेक्षण, कभी प्रस्ताव,कभी संभावित स्टेशन और कभी नई परियोजना की जानकारी सामने आती रही है। हर बार क्षेत्र के लोगों को लगता है कि शायद अब उनकी प्रतीक्षा समाप्त होगी। लेकिन विकास का वास्तविक मूल्यांकन कागजों पर दर्ज किलोमीटर से नहीं,जमीन पर बिछी पटरियों और उन पर दौड़ती ट्रेनों से होता है। सरकार और रेल मंत्रालय को स्पष्ट करना चाहिए कि 218 किलोमीटर की प्रस्तावित सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर रेल लाइन की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति क्या है? इसके लिए बजट का प्रावधान कब होगा? निर्माण की समयसीमा क्या निर्धारित की गई है? भूमि अधिग्रहण और अन्य औपचारिकताएं कब पूरी होंगी? इसी तरह रेणुकूट-अंबिकापुर-कोरबा रेल संपर्क के सर्वेक्षण के बाद अगला कदम क्या होगा? सरगुजा को विकास के मानचित्र पर केवल प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा के लिए याद रखना पर्याप्त नहीं है। यहां रहने वाले लोगों को भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह सुगम परिवहन,बेहतर यात्री सुविधाएं और आर्थिक अवसर मिलने चाहिए। रेल परियोजना में शामिल किए जाने की खबर निश्चित रूप से उम्मीद जगाती है,लेकिन अब सरगुजा को उम्मीदों की नहीं, ठोस निर्णयों की जरूरत है। क्योंकि इस अंचल ने रेल का सपना बहुत वर्षों तक देखा है,अब उसे सपने की घोषणा नहीं, हकीकत में दौड़ती रेल चाहिए।

कोयले की जरूरत पर रेल की प्राथमिकता,यात्रियों की सुविधा का क्या?

सरगुजा संभाग प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहां खनिज संपदा,कोयला भंडार और औद्योगिक संभावनाओं की कमी नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस क्षेत्र की धरती से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन निकाले जाते हैं,उसी क्षेत्र के आम नागरिकों को बेहतर रेल संपर्क के लिए वर्षों से इंतजार करना पड़ रहा है। प्रस्तावित रेल लाइन से कोयला परिवहन को लाभ मिलने की संभावना है,लेकिन क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा इससे कहीं आगे की है। उन्हें ऐसी रेल सुविधा चाहिए जो विद्यार्थियों, मरीजों, नौकरीपेशा लोगों,व्यापारियों और आम यात्रियों के लिए भी जीवन आसान बनाए।

सरगुजा के हिस्से में आखिर कब आएगी रेल विकास की वास्तविक रफ्तार?

क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता समिति के सदस्य मुकेश तिवारी ने सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर रेल परियोजना को सरगुजा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए लंबे समय से इसकी मांग किए जाने का उल्लेख किया है। उनका मानना है कि इस रेल संपर्क से क्षेत्र में यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी लाभ मिलेगा। समाचार में सरगुजा जिले में आठ और बलरामपुर जिले में 15 रेलवे स्टेशनों के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही अंबिकापुर से लखनपुर तक 52 किलोमीटर तथा लखनपुर से मैनपाट तक 37 किलोमीटर नई रेल लाइन विकसित करने की मांग भी सामने रखी गई है। यह मांग बताती है कि क्षेत्र की रेल जरूरतें केवल एक मुख्य रेल मार्ग तक सीमित नहीं हैं। संभाग के भीतर भी ऐसे अनेक इलाके हैं,जहां रेल संपर्क आज भी लोगों के लिए सपना बना हुआ है।

महिंद्रा थ्री व्हीलर डीलरशिप में 3 लाख का गबन,असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार

ग्राहकों से नकद और ऑनलाइन माध्यम से वसूली रकम कंपनी में जमा करने के बजाय निजी काम में की खर्च,न वाहन दिया और न लौटाए पैसे



-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

महिंद्रा थ्री व्हीलर डीलरशिप में ग्राहकों से तीन लाख रुपये लेकर कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय निजी उपयोग में खर्च करने वाले असिस्टेंट मैनेजर को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने तीन ग्राहकों से नकद एवं ऑनलाइन माध्यम से रकम प्राप्त की थी,लेकिन न तो ग्राहकों को वाहन उपलब्ध कराया और न ही उनकी रकम वापस की। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्टार ऑटोमोबाइल्स, मनेन्द्रगढ़ रोड गांधीनगर के मैनेजर गुलफेर अहमद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि संस्थान में महिंद्रा थ्री व्हीलर डीलरशिप का असिस्टेंट मैनेजर सतीश कुमार देवांगन ग्राहकों से वाहन उपलब्ध कराने के नाम पर कंपनी के निर्धारित नियमों के विपरीत राशि प्राप्त कर रहा था। आरोपी ने तीन ग्राहकों से कुल तीन लाख रुपये नकद और अपने निजी बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से लिए। इसके बाद रकम कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय अपने निजी कार्यों में खर्च कर दी। ग्राहकों को न तो वाहन मिला और न ही उनकी रकम वापस की गई। शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 664/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के बयान दर्ज करने और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी के निवास पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ एवं जांच में आरोपी की पहचान सतीश कुमार देवांगन (39 वर्ष),पिता दुधेलाल देवांगन,निवासी रामपुर मिठ्ठीकला,थाना मणीपुर, अंबिकापुर के रूप में हुई। अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

हल्ला करने से मना करने पर डंडा-तब्बल से हमला...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

मणिपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हर्राटिकरा सेमरपारा में कीर्तन के दौरान शोरगुल करने से मना करने पर डंडा और तब्बल से हमला करके दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम हर्राटिकरा में करमचंद्र सोनवानी शाम करीब 6.40 बजे अपने घर के सामने बैठा था। इस दौरान श्याम बाबा के घर के सामने मंडली कीर्तन कर रही थी, तभी स्कूटी एक्टिवा क्रमांक सीजी 15 ईबी 6956 में तीन लोग आए और जोर-जोर से हल्ला करने लगे। मना करने पर तीनों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर डंडा और तब्बल जैसे हथियार से मारपीट की,जिसमें करमचंद्र के सिर में खून बहने लगा। बीच-बचाव करने आए उसके पिता सीताराम, दीपक,संजय,भोले शंकर और विकास के साथ भी मारपीट की गई। घटना के दौरान जमा हो रही भीड़ को देखते हुए आरोपी अपनी स्कूटी छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना मणिपुर थाने में दी गई। स्कूटी जब्त करके पुलिस आरोपियों के तलाश में लगी है।

धान खरीदी में गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज,संभागायुक्त की दो टूक चेतावनी...

सीमावर्ती खरीदी केंद्रों में दूसरे राज्यों का धान खपाने की कोशिश पर रहेगी नजर,कोचियों और बिचौलियों को लेकर प्रशासन सख्त,वाड्रफनगर,बसंतपुर और नवगई केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने अवैध धान खपाने और खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपार्जन केंद्रों में केवल वास्तविक एवं पंजीकृत किसानों का ही धान खरीदा जाए। कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से धान खपाने की कोशिश मिली तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि हर खरीदी सीजन में सामने आने वाली गड़बड़ियों के बीच इस बार प्रशासन की सख्ती कितनी प्रभावी साबित होगी? खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। खरीदी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने बुधवार को बलरामपुर और सूरजपुर जिले के दूरस्थ एवं सीमावर्ती धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति वाड्रफनगर एवं बसंतपुर तथा सूरजपुर जिले की बिहारपुर-चांदनी तहसील के नवगई धान उपार्जन केंद्र का जायजा लिया।



दूसरे राज्यों का धान खपाने वालों पर रहेगी निगरानी : संभागायुक्त ने सीमावर्ती क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ के उपार्जन केंद्रों में बेचने की आशंका को गंभीरता से लेते हुए राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अंतर राज्यीय सीमाओं पर स्थापित जांच चौकियों और बैरियर का नियमित निरीक्षण करने तथा धान के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। ग्राम चकोता स्थित जांच बैरियर पर रुककर संभागायुक्त ने पंजी का अवलोकन भी किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी की यह व्यवस्था कितनी प्रभावी है,इसका वास्तविक परीक्षण अब आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाले धान को रोकने की जिम्मेदारी केवल बैरियर पर तैनात कर्मचारियों की नहीं,बल्कि संबंधित विभागों की संयुक्त जवाबदेही भी है।

केंद्रों में व्यवस्थाएं देखीं, किसानों से सीधे लिया फीडबैक : निरीक्षण के दौरान वाड्रफनगर समिति प्रबंधक ने बताया कि केंद्र में 1157 किसान पंजीकृत हैं और पिछले वर्ष यहां लगभग 52 हजार क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। इस दौरान ग्राम पेंडारी के किसान श्रीलाल कुशवाहा तथा ग्राम कोटराही के किसान जुझनलाल और मोहरसाय पोर्ते अपना धान बेचने केंद्र पहुंचे थे। बसंतपुर धान खरीदी केंद्र में 12 गांवों के किसान अपनी उपज बेचने पहुंचते हैं। यहां संभागायुक्त ने ग्राम जमई के किसान बाबूलाल और ग्राम बसंतपुर के किसान अवधेश से बातचीत कर खरीदी व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता,पेयजल, बिजली और ड्रेनेज व्यवस्था का निरीक्षण किया। किसानों से सीधे संवाद कर यह जानने का प्रयास किया कि धान बेचने के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है।

सिर्फ चेतावनी नहीं,निगरानी और जवाबदेही भी जरूरी...

संभागायुक्त ने समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी की प्रत्येक प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। वास्तविक किसानों के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का धान खरीदने,कोचियों और बिचौलियों के जरिए उपार्जन केंद्रों में धान खपाने अथवा रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीदी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जाए और शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। लेकिन धान खरीदी की व्यवस्था में पारदर्शिता केवल निरीक्षण और चेतावनी से सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसके लिए किसानों के पंजीयन,रकबे,टोकन,वास्तविक आवक,तौल और ऑनलाइन रिकॉर्ड का नियमित मिलान भी जरूरी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पात्र किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न हों और किसी अपात्र व्यक्ति को व्यवस्था का लाभ न मिले।

कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों को मिलेगी आदान सहायता

राज्य शासन के निर्णय के अनुसार अब कम मात्रा में धान बेचने पर भी पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलने का प्रावधान है। ऐसे में खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और पात्र किसानों की पहचान का महत्व और बढ़ जाता है। शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन को खरीदी से लेकर भुगतान और आदान सहायता तक प्रत्येक स्तर पर निगरानी रखनी होगी। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर तुलसीदास मरकाम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनहित का सवाल यह है कि धान खरीदी में अनियमितता पर कार्रवाई की चेतावनी हर साल दी जाती है,लेकिन इस बार प्रशासन कितने मामलों में वास्तव में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करता है? किसानों को केवल आश्वासन नहीं,ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उनकी उपज बिना परेशानी खरीदी जाए, बिचौलियों की दखलंदाजी खत्म हो और सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे। संभागायुक्त की सख्ती का असली इम्तिहान अब खरीदी केंद्रों की कार्यप्रणाली और कार्रवाई के परिणामों से होगा।

चेक बाउंस के मामलों के निराकरण के लिए 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत,आपसी समझौते से मिलेगा त्वरित समाधान

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



चेक बाउंस से जुड़े लंबित न्यायालयीन मामलों के त्वरित निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबिकापुर द्वारा 21 नवंबर 2026 (शनिवार) को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज चेक अनादरण के मामलों का निराकरण किया जाएगा। विशेष लोक अदालत में केवल चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं आपसी सहमति के आधार पर समझौते के जरिए निराकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य पक्षकारों को लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया से राहत दिलाना और विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निराकरण होने से पक्षकारों के समय और संसाधनों की बचत होती है। साथ ही आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का अवसर भी मिलता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चेक बाउंस के लंबित मामलों से जुड़े सभी पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की है,ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण किया जा सके। विशेष लोक अदालत,निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी सलाह के संबंध में जानकारी के लिए आम नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबिकापुर अथवा तालुका विधिक सेवा समिति,सीतापुर सहित जिले की अन्य संबंधित तालुका विधिक सेवा समितियों से संपर्क कर सकते हैं।

बॉन्डेड चिकित्सकों के मानदेय संशोधन के लिए छह सदस्यीय समिति गठित

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में पोस्ट-एमबीबीएस बॉन्ड चिकित्सकों और पोस्ट-पीजी बॉन्ड चिकित्सकों (बॉन्डेड सीनियर रेजिडेंट्स) के मानदेय में संशोधन की दिशा में स्वास्थ्य संचालनालय ने पहल की है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ ने मानदेय संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह पहल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) छत्तीसगढ़ द्वारा उठाए गए मुद्दों और प्रस्तुत मांगों के परिप्रेक्ष्य में की गई है। गठित समिति की अध्यक्षता अपर संचालक,स्वास्थ्य सेवाएं करेंगे। समिति चिकित्सकों के मानदेय संशोधन के विषय पर विचार कर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। जारी आदेश के अनुसार,आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क (आईएमए जेडीएन) छत्तीसगढ़ से आदेश प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस के भीतर अपना स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके बाद समिति इस विषय पर विचार कर अपनी अनुशंसा देगी। इस पहल से पोस्ट-एमबीबीएस और पोस्ट-पीजी बॉन्ड चिकित्सकों के मानदेय में संशोधन तथा क्षेत्रवार मानदेय व्यवस्था के प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।



1968-69 में शासकीय पट्टे पर दी गई जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी का मामला

बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा 1322/2 का हुआ सृजन...पहले बलिराम के नाम दर्ज हुई जमीन, फिर रजिस्ट्री के जरिए आजाद इराकी और रामाशंकर सिंह तक पहुंची। कलेक्टर ने रजिस्ट्री निरस्त कराने सिविल वाद दायर करने और अवैध प्रविष्टि विलोपित करने का भी दिया निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में राजस्व अभिलेखों में कथित कूटरचना कर सरकारी पट्टे की जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराने और फिर उसकी खरीद-बिक्री किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। तहसील दरिमा के ग्राम दरिमा स्थित खसरा क्रमांक 1322 से जुड़ी इस जमीन के मामले में कलेक्टर सरगुजा ने तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर आजाद इराकी सहित चार व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं,उनमें जमीन का विक्रेता बलिराम, क्रेता आजाद इराकी, रामाशंकर सिंह और ग्राम दरिमा के तत्कालीन पटवारी अनिरुद्ध कुमार पैकरा शामिल हैं। कलेक्टर ने केवल आपराधिक कार्रवाई तक मामला सीमित नहीं रखा है,बल्कि विवादित जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर करने तथा राजस्व अभिलेखों में की गई कथित अवैध प्रविष्टि को विलोपित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि जिस जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप है, वह वर्ष 1968-69 में सिंहदेव योजना के अंतर्गत शासकीय पट्टेदार चंदर पिता बजरंग पनिका को आवंटित की गई थी। ग्राम दरिमा स्थित खसरा क्रमांक 1322 की कुल 2.76 एकड़ भूमि अर्थात 1.117 हेक्टेयर का पट्टा उन्हें प्रदान किया गया था। राजस्व अभिलेखों में भी इस जमीन का उल्लेख इसी खसरा नंबर और रकबे के साथ दर्ज था। लेकिन बाद के वर्षों में राजस्व रिकॉर्ड में ऐसी प्रविष्टियां की गईं, जिनसे जमीन के एक नए खसरा नंबर का अस्तित्व सामने आ गया।

तहसीलदार दरिमा की जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार वर्ष 2016-17 के खसरा पांचशाला अभिलेख में खसरा क्रमांक 1322 का रकबा 1.117 हेक्टेयर दर्ज था। इसके बाद कंप्यूटरीकृत खसरा पांचशाला में मूल खसरा नंबर 1322 को बटांकित दर्शाते हुए हस्तलिखित प्रविष्टि की गई। इसमें खसरा क्रमांक 1322/1 का रकबा 1.117 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक 1322/2 का रकबा 2.202 हेक्टेयर दर्ज कर दिया गया। सबसे गंभीर बात यह रही कि नए खसरा नंबर 1322/2 में दर्ज 2.202 हेक्टेयर जमीन बलिराम पिता रामप्रसाद के नाम पर दर्ज कर दी गई, जबकि इस प्रविष्टि के समर्थन में किसी सक्षम राजस्व अधिकारी का आदेश अथवा अनुमोदन उपलब्ध नहीं पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि खसरा नंबर 1322/2 के निर्माण के संबंध में खसरा पांचशाला के कैफियत कॉलम क्रमांक 12 में हस्तलिखित रूप से 'लुप्त खसरा होने से' दर्ज किया गया था। लेकिन इस आधार पर नया खसरा नंबर बनाने और इतनी बड़ी जमीन किसी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज करने के संबंध में कोई वैधानिक आदेश या सक्षम अधिकारी की अनुमति राजस्व अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। जांच प्रतिवेदन में इस पूरी प्रक्रिया को कूटरचना कर निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से की गई प्रविष्टि बताया गया है। यहां सवाल यह भी है कि जब मूल खसरा क्रमांक 1322 का रकबा 1.117 हेक्टेयर पहले से दर्ज था, तो उसके रकबे में कोई कमी किए बिना अलग से 2.202 हेक्टेयर का नया खसरा किस आधार पर तैयार कर दिया गया? आखिर किस अधिकारी के आदेश पर यह प्रविष्टि हुई और राजस्व रिकॉर्ड में इसका अनुमोदन क्यों नहीं मिला?

नए खसरे के आधार पर नामांतरण और फिर रजिस्ट्री

जांच में सामने आए घटनाक्रम के अनुसार विवादित खसरा क्रमांक 1322/2 की प्रविष्टि के बाद 18 जुलाई 2023 को तत्कालीन पटवारी द्वारा ऑनलाइन राजस्व अभिलेखों में भूमि के नामांतरण से संबंधित प्रविष्टि की गई। इसके बाद 11 सितंबर 2023 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूमि बलिराम से आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी निवासी जयनगर,तहसील लटोरी,जिला सूरजपुर तथा रामाशंकर सिंह पिता रामजस सिंह निवासी विश्रामपुर,जिला सूरजपुर के नाम विक्रय कर दी गई। इस प्रकार जिस जमीन के मूल खसरा नंबर और रकबे को लेकर राजस्व रिकॉर्ड में पहले से स्पष्ट प्रविष्टि मौजूद थी,उसी जमीन के नाम पर एक नया खसरा नंबर तैयार कर उसे निजी व्यक्ति के नाम दर्ज किया गया और फिर उसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। जांच में नए खसरे के विधिक अस्तित्व और उसके निर्माण की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में न केवल राजस्व रिकॉर्ड की वैधता, बल्कि उसके आधार पर कराई गई रजिस्ट्री की वैधानिकता भी जांच और न्यायिक परीक्षण के दायरे में आ गई है।

चार व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश,रजिस्ट्री निरस्त कराने भी होगी कार्रवाई

तहसीलदार दरिमा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर सरगुजा ने विक्रेता बलिराम पिता रामप्रसाद निवासी ग्राम खजुरी,तहसील दरिमा,जिला सरगुजा,क्रेता आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी निवासी जयनगर,तहसील लटोरी,जिला सूरजपुर,रामाशंकर सिंह पिता रामजस सिंह निवासी विश्रामपुर,जिला सूरजपुर तथा ग्राम दरिमा के तत्कालीन पटवारी अनिरुद्ध कुमार पैकरा के विरुद्ध संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश तहसीलदार दरिमा को दिए हैं। साथ ही तत्काल कार्रवाई कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को विवादित भूमि की रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करने तथा राजस्व अभिलेखों में की गई अवैध प्रविष्टि को विलोपित करने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब इस मामले में आपराधिक कार्रवाई के साथ-साथ जमीन के स्वामित्व और रजिस्ट्री की वैधता को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

राजस्व व्यवस्था पर सवाल,आखिर कैसे तैयार हो गया नया खसरा?

यह मामला केवल जमीन की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्व अभिलेखों के रखरखाव और उनमें बदलाव की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जब किसी जमीन का मूल खसरा नंबर और रकबा दशकों से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था,तो बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नया खसरा नंबर कैसे अस्तित्व में आ गया? कंप्यूटरीकृत खसरा पांचशाला में हस्तलिखित प्रविष्टि किसके स्तर पर की गई? नामांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया किस आधार पर पूरी हुई और उसी प्रविष्टि के आधार पर रजिस्ट्री कैसे हो गई? इन सवालों का जवाब अब पुलिस की विवेचना और राजस्व विभाग की आगे की कार्रवाई से सामने आना बाकी है। कलेक्टर के निर्देश के बाद अब देखना होगा कि संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और विवादित जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कराने की न्यायिक प्रक्रिया कब शुरू होती है। फिलहाल प्रशासनिक जांच में सामने आए तथ्यों ने राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी के जरिए सरकारी पट्टे की जमीन को निजी स्वामित्व में पहुंचाने के गंभीर मामले को उजागर कर दिया है।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में राजभवन का बड़ा फैसला,डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी की कुलसचिव पद से छुट्टी

कुलपति-कुलसचिव के बीच लंबे समय से चल रही प्रशासनिक खींचतान के बीच कार्रवाई,उप कुलसचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में आखिरकार प्रशासनिक बदलाव हो गया। लंबे समय से विवादों में चल रहे कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी को राजभवन के आदेश के बाद पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर उप कुलसचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल को कुलसचिव का प्रभार सौंपा गया है। इस फैसले को विश्वविद्यालय में लंबे समय से जारी प्रशासनिक असहजता के बीच एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय में कुलपति और कुलसचिव के बीच लंबे समय से मतभेद और प्रशासनिक खींचतान की स्थिति बनी हुई थी। विवाद के दौरान कुलसचिव की योग्यता को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। मामला लगातार चर्चा में रहने के बीच राजभवन के स्तर से हस्तक्षेप हुआ और डॉ. त्रिपाठी को कुलसचिव के पद से हटाने का आदेश जारी किया गया।



प्रशासनिक जिम्मेदारी अब प्रवीण अग्रवाल के पास : राजभवन के आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उप कुलसचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल को कुलसचिव का प्रभार सौंपा है। उनके सामने अब विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और लंबित कार्यों को गति देने की चुनौती होगी।

विवाद से बाहर निकल पाएगा विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय में शीर्ष प्रशासनिक पदों को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान ने संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित, परीक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निर्णय और विश्वविद्यालय का सुचारू संचालन ऐसे विषय हैं, जिन पर इस विवाद का असर नहीं पड़ना चाहिए। अब कुलसचिव पद पर हुए बदलाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासनिक विवादों से बाहर निकलकर शिक्षा और विद्यार्थियों से जुड़े मूल कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा? फिलहाल राजभवन के इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय में आगे होने वाले घटनाक्रम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

वन भूमि को लेकर मारपीट,6 के विरूद्ध केस दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बांसा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने छह लोगों के विरूद्ध नामजद केस दर्ज कर लिया है। बांसा निवासी धनेश्वरी मिंज ने पुलिस को बताया है कि उसके पिता लालसाय और चाचा ललुवा एक साथ रहकर खेती करते थे। चाचा ललुवा का अगस्त 2026 में निधन हो गया, तब से चाचा की भूमि पर पिताजी कृषि कार्य कर रहे हैं। गांव का मरियानुस उसी जमीन को अपनी बताकर कब्जा करने की नियत से विवाद करते आ रहा है। 17 नवंबर को वन विभाग के अधिकारी जमीन का नाप करने के लिए आने वाले थे।इस दौरान वह अपनी मां सुधनी, पिता लालसाय, भाई सुखदल और भाभी परमिला के साथ जमीन के पास गई थी। शाम करीब 4 बजे मरियानुस, गोविंद,सुषमा,सुन्धू,हिरसाय,आनंद शराब के नशे में आए।

स्टाफ नर्स हड़ताल : आपातकालीन सेवाओं पर भी बढ़ा दबाव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

ग्रेड पे वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित प्रदेशभर के स्टाफ नर्स 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन गुरुवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर आंशिक असर देखने को मिला। 120 से अधिक स्टाफ नर्सों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। फिलहाल सीनियर नर्सों और नर्सिंग के छात्र-छात्राओं के सहारे किसी तरह कामकाज संचालित किया जा रहा है। नर्सों के हड़ताल पर जाने से मरीजों की परेशानी बढ़ने के साथ ही



आपातकालीन चिकित्सा और ऑपरेशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीजों को परेशानी न हो,इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। वहीं आंदोलनकारी नर्सों का कहना है कि वे नहीं चाहतीं कि उनकी हड़ताल से मरीजों का इलाज प्रभावित हो, लेकिन लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आंदोलन के दौरान मरीजों के साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की होगी।

14 साल से ग्रेड पे बढ़ाने की मांग : एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग को छोड़कर राज्य के चिकित्सक संवर्ग और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग के अनुरूप केंद्रीय वेतनमान का लाभ मिल रहा है। वर्ष 2012 में चिकित्सा शिक्षा विभाग के गठन के बाद से नर्सिंग संवर्ग को इससे वंचित रखा गया है। नर्सिंग कर्मचारी पिछले 14 वर्षों से ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

2800 से बढ़ाकर 4800 ग्रेड पे करने की मांग : एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि चार वर्षीय डिग्री कोर्स के बाद भी नर्सिंग संवर्ग को मिल रहे 2800 ग्रेड पे को बढ़ाकर 4800 किया जाए। यदि 4800 ग्रेड पे देना संभव नहीं है तो पूर्व में तैयार 4400 ग्रेड पे का प्रस्ताव ही स्वीकृत किया जाए।

संघ की अध्यक्ष मालती सिंह और उपाध्यक्ष प्रज्ञा सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को ही मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दे दी गई थी। इसके बाद 16 नवंबर को पुनः इसकी जानकारी दी गई। प्रांतीय निर्णय के अनुसार 18 नवंबर से कर्मचारी सेवा से अलग होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि तीन दिन तक अस्पताल परिसर में आंदोलन करने के बाद नर्सिंग कर्मचारी रायपुर जाएंगे और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे।

गौरव पथ से पंचदेव मंदिर तक सड़क के लिए सिंहदेव से मांगी जमीन,मुआवजे पर अटका मामला

महापौर मंजूषा भगत पार्षदों के साथ पहुंचीं पूर्व डिप्टी सीएम के निवास

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर,नमनाकला तक प्रस्तावित सडक़ निर्माण को लेकर जमीन का मामला उलझ गया है। सडक़ निर्माण में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। इसे लेकर महापौर मंजूषा भगत ने गुरुवार को पार्षदों के साथ सिंहदेव के निवास पहुंचकर उनसे जमीन देने के लिए सहमति मांगी। इस पर सिंहदेव ने कहा कि जनहित में जमीन अधिग्रहित करने का अधिकार सरकार को है,लेकिन जमीन मालिक को उचित मुआवजा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। प्रस्तावित सडक़ में करीब डेढ़ से दो एकड़ जमीन जाएगी,जिसकी कीमत लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के पास इतनी बड़ी राशि देने के संसाधन नहीं हैं, इसलिए सरकार को इसके लिए राशि उपलब्ध करानी चाहिए। महापौर द्वारा सौंपे गए पत्र में बताया गया है कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर नमनाकला तक सडक़ निर्माण प्रस्तावित है। निगम द्वारा कराए गए सीमांकन में सिंहदेव की खसरा नंबर 3385/1 की करीब 6661.2 वर्गमीटर निजी भूमि सडक़ निर्माण से प्रभावित होना बताया गया है। कलेक्टर गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के अनुसार उक्त भूमि का मूल्यांकन 3600 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से करीब 2 करोड़ 39 लाख 80 हजार 320 रुपए किया गया है। महापौर ने पत्र में



उल्लेख किया है कि सडक़ निर्माण की स्वीकृति शासन से मिल चुकी है और निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। सडक़ बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। हालांकि,इतनी बड़ी राशि की क्षतिपूर्ति करना नगर निगम के लिए संभव नहीं है। इसलिए जनहित को देखते हुए सिंहदेव से जमीन के संबंध में सहमति देने का आग्रह किया गया है।

सरकार उचित मुआवजा दे, निगम पर न डाले बोझ : मीडिया से चर्चा करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि महापौर और पार्षदों ने उनसे सडक़ निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जनहित में सरकार किसी की भी जमीन अधिग्रहित कर सकती है,लेकिन इसके बदले उचित मुआवजा देना होगा। पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी देशहित और समाजहित में जमीन लेने की पहल की थी। बाद में इस संबंध में कानून बना और जमीन मालिक को बाजार भाव के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान किया गया।

जमीन की कीमत करीब 6 करोड़ : सिंहदेव ने कहा कि यदि जमीन का आकार छोटा होता और 10-20 लाख रुपए का मामला होता तो अलग बात थी, लेकिन यहां डेढ़ से दो एकड़ जमीन प्रभावित हो रही है। इसकी कीमत करीब 5-6 करोड़ रुपए है। सरकार को यह राशि उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने वित्त मंत्री की उस घोषणा का भी हवाला दिया, जिसमें रजिस्ट्री दरों में वृद्धि का उद्देश्य जमीन अधिग्रहण के दौरान बेहतर मुआवजा उपलब्ध कराना बताया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमीन मालिक को मुआवजा देने की बारी आती है तो सरकार पीछे क्यों हट रही है। नगर निगम पर जमीन मुफ्त में लेने और निर्माण कराने का बोझ नहीं डालना चाहिए।

पहले भी सडक़ और नाली निर्माण में गई जमीन,नहीं मिला मुआवजा : सिंहदेव ने कहा कि नगर निगम के नए कार्यालय के निर्माण के दौरान भी उनकी जमीन प्रभावित हुई, लेकिन उसके बदले न जमीन दी गई और न मुआवजा मिला। शिवसागर बांध के पास सडक़ निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बारिश में कीचड़ की समस्या को देखते हुए महापौर ने नागरिकों की सुविधा के लिए सडक़ बनाने की बात कही थी। उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार राशि उपलब्ध नहीं कराती है तो वे अपनी ओर से व्यवस्था कर देंगे। इसके बावजूद निगम ने उनकी जमीन पर करीब 100 मीटर सडक़ बना दी,लेकिन मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने बताया कि शिवसागर बांध के पास करीब 10 फीट चौड़ी नाली बनाने में भी लगभग एक एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। इसका भी मुआवजा नहीं मिला। इस संबंध में उन्होंने न्यायालय में मामला दायर किया है और सडक़ निर्माण में गई जमीन का मुआवजा मांगा है।

शराब के नशे में वाहन चलाना पड़ा महंगा, दो बाइक चालकों पर 20 हजार का जुर्माना

ब्रेथ एनालाइजर जांच में नशे की पुष्टि,न्यायालय ने दोनों चालकों पर लगाया 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शराब के नशे में दोपहिया वाहन चलाने वाले दो चालकों को यातायात पुलिस की कार्रवाई के बाद न्यायालय ने आर्थिक दंड से दंडित किया है। दोनों वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपये के हिसाब से कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। पुलिस के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यातायात शाखा द्वारा लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक CG-15-EJ-2635 के चालक सोनू (24 वर्ष), निवासी डकई,थाना लुण्ड्रा को रोककर जांच की गई। ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण में उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसी तरह दूसरे मामले में मोटरसाइकिल क्रमांक CG-15-CV-5510 के चालक सुमन (29 वर्ष), निवासी शिवसागरपुर,जयनगर,जिला सूरजपुर को जांच के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया। ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में उसके भी नशे में होने की पुष्टि हुई। दोनों चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस प्रकार दोनों मामलों में कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं। नशे में वाहन चलाना न केवल स्वयं के लिए,बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।



CMYK



न विज्ञापन, न सार्वजनिक सूचना, फिर कैसे हो गई नियुक्तियां? बड़सरा उपकेंद्र जांच के घेरे में

धान खरीदी केंद्र में चहेतों की नियुक्ति? भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवाल...

नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियों का आरोप, जनपद सदस्य के निरीक्षण में भी नहीं मिले जवाब...

धान खरीदी शुरू होने से पहले नियुक्तियों पर विवाद, कलेक्टर से उच्चस्तरीय जांच की मांग...

स्थानीय बेरोजगारों को भनक तक नहीं, बड़सरा धान खरीदी उपकेंद्र में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल...

बड़सरा धान खरीदी उपकेंद्र में समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर भर्ती को लेकर विवाद

जनपद सदस्य के निरीक्षण में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का आरोप, कलेक्टर से उच्चस्तरीय जांच की मांग

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर, 19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिले के विकासखंड भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़सरा में संचालित नवीन धान खरीदी उपकेंद्र में विभिन्न पदों पर की गई नियुक्तियां अब सवालों के घेरे में हैं,समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के पालन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप है कि इन पदों के लिए न तो सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया और न ही स्थानीय किसानों, ग्रामीणों तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आवेदन करने का अवसर देने के लिए कोई सार्वजनिक सूचना प्रसारित की गई, नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर उठे इन्हीं सवालों के बीच जनपद पंचायत सदस्य इंद्रावती राजवाड़े ने खरीदी उपकेंद्र पहुंचकर जानकारी मांगी,लेकिन निरीक्षण के दौरान जिम्मेदारों की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं बताए गए।

मामले को लेकर शिकायतकर्ता सोनू साहू ने 15 नवंबर 2026 को कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है,शिकायत में केवल नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए गए हैं,बल्कि संबंधित नियुक्ति आदेश,चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता,चयन समिति की बैठक,समिति के प्रस्ताव और सक्षम अधिकारियों से प्राप्त अनुमोदन की भी जांच कराने का आग्रह किया गया है,अब यह मामला जिला प्रशासन के लिए भी जांच का विषय बन गया है कि नवीन धान खरीदी उपकेंद्र में नियुक्तियां किन नियमों और किस प्रक्रिया के तहत की गईं।

जनपद सदस्य के निरीक्षण में भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब-नियुक्तियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जनपद पंचायत सदस्य इंद्रावती राजवाड़े ने बड़सरा धान खरीदी उपकेंद्र पहुंचकर वस्तुस्थिति जानने का प्रयास किया,निरीक्षण के दौरान उन्होंने समिति प्रबंधक, समिति के सदस्यों एवं अन्य जिम्मेदारों से नियुक्तियों के संबंध में जानकारी मांगी, उन्होंने यह जानना चाहा कि विभिन्न पदों पर नियुक्तियां किस प्रक्रिया के तहत की गईं,चयन के लिए क्या मापदंड तय किए गए थे तथा नियुक्त व्यक्तियों के पास निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है या नहीं,बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान जिम्मेदारों की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं रहे,हालांकि, इस संबंध में संबंधित समिति प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी आवश्यक है,यदि नियुक्तियां निर्धारित नियमों के अनुसार की गई हैं तो प्रबंधन को नियुक्ति आदेश,चयन प्रक्रिया और अनुमोदन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,यहां सवाल केवल जनप्रतिनिधि को जानकारी देने का नहीं,बल्कि सार्वजनिक कार्य से जुड़ी संस्था में नियुक्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का है,जब किसी संस्था में नियुक्तियों को लेकर शिकायत सामने आती है और जनप्रतिनिधि स्वयं जानकारी मांगते हैं,तब संबंधित प्रबंधन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह तथ्यों के साथ पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करे।

कलेक्टर को सौंपे शिकायत पत्र में दस बिंदुओं पर जांच की मांग-शिकायतकर्ता सोनू साहू ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में नियुक्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच कराने की मांग की है, आवेदन में समिति प्रबंधक,कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के नियुक्ति आदेश और नियुक्ति की तारीख सार्वजनिक करने की मांग की गई है,इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि भर्ती के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी हुआ था या नहीं और आवेदन आमंत्रित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी,शिकायत में नियुक्त व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता,तकनीकी योग्यता और अनुभव का सत्यापन कराने की मांग भी शामिल है,इसके अलावा चयन समिति का गठन, चयन समिति की बैठक की कार्यवाही, समिति के प्रस्ताव तथा नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने का आग्रह किया गया है,शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि यदि नियुक्तियां बिना विज्ञापन अथवा निर्धारित चयन प्रक्रिया के की गई हैं,तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए। नियुक्तियों में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

किन दस्तावेजों से खुल सकती है नियुक्तियों की पूरी कहानी?-इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक है। सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि बड़सरा धान खरीदी उपकेंद्र में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से किन-किन पदों पर नियुक्तियां की गई हैं,इसके बाद प्रत्येक पद के लिए जारी नियुक्ति आदेश,नियुक्ति की तारीख,निर्धारित योग्यता और चयनित व्यक्ति के दस्तावेजों का मिलान किया जाना चाहिए,इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विज्ञापन अथवा सार्वजनिक सूचना,आवेदन पत्रों की सूची,चयन समिति के गठन का आदेश,बैठक की कार्यवाही और चयन संबंधी प्रस्ताव की जांच होनी चाहिए, यदि किसी सक्षम अधिकारी से नियुक्तियों के लिए अनुमति या अनुमोदन लिया गया है तो उसका मूल अभिलेख भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए,सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि संबंधित नियुक्तियां किस संस्था अथवा समिति के निर्णय से की गईं और क्या उन निर्णयों को नियमानुसार सक्षम स्तर पर स्वीकृति मिली थी,यदि नियुक्तियों में समिति की बैठक और प्रस्ताव का हवाला दिया जा रहा है तो बैठक की तारीख,उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर और प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति का परीक्षण भी जरूरी है,इन दस्तावेजों की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुईं या फिर नियमों और पारदर्शिता के मानकों की अनदेखी की गई।

धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए जवाबदेही जरूरी-धान खरीदी का कार्य किसानों के हितों और शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था से जुड़ा है,खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी केवल कार्यालयीन कामकाज तक सीमित नहीं होती,बल्कि किसानों के पंजीयन,टोकन,तौल,अभिलेखों और खरीदी से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में भी उनकी भूमिका रहती है,ऐसे में नियुक्तियों को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है,यदि स्थानीय युवाओं को आवेदन का अवसर दिए बिना नियुक्तियां की गई हैं,तो यह जांच का गंभीर विषय है,वहीं यदि नियुक्तियां नियमानुसार हुई हैं,तो संबंधित प्रबंधन के पास इसके समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज होने चाहिए,पारदर्शिता का तकाजा है कि नियुक्तियों की प्रक्रिया और चयन का आधार स्पष्ट हो,ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात या अनियमितता की आशंका न रहे।

बिना सार्वजनिक सूचना के नियुक्तियां, स्थानीय युवाओं को अवसर मिला भी या नहीं?

शिकायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नवीन धान खरीदी उपकेंद्र में समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पदों पर नियुक्तियों से पहले सार्वजनिक विज्ञापन अथवा सूचना जारी किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है,शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर न तो आवेदन आमंत्रित किए गए और न ही भर्ती प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक की गई,ऐसे में स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को यह पता ही नहीं चल पाया कि उपकेंद्र में किन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं और उनके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है,यदि नियुक्तियों के लिए सार्वजनिक आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए,तो चयन के लिए अभ्यर्थियों का आधार क्या रहा? क्या पदों के लिए पहले से कोई योग्यता और अनुभव निर्धारित किया गया था? कितने लोगों ने आवेदन किया था? चयन के लिए कौन-कौन से मापदंड अपनाए गए और चयनित व्यक्तियों की योग्यता का सत्यापन किस स्तर पर किया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब संबंधित नियुक्तियों के अभिलेखों से ही सामने आ सकता है,धान खरीदी उपकेंद्र जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में नियुक्तियों का मामला केवल कुछ पदों को भरने तक सीमित नहीं है, यहां किसानों से जुड़े कामकाज,खरीदी की प्रक्रिया और अभिलेखों के संधारण जैसी जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं,ऐसे में संबंधित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता,अनुभव और चयन प्रक्रिया का स्पष्ट होना आवश्यक है,यदि प्रक्रिया पारदर्शी रही है तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक जांच के लिए प्रस्तुत किए जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

सहकारी अधिनियम और स्टाफिंग पैटर्न के पालन की भी जांच जरूरी...

शिकायत पत्र में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा 54 और 55, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम,1962 के नियम 32(1-क) तथा विभागीय दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए नियुक्तियों की वैधानिकता की जांच कराने की मांग की गई है,आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सहकारी संस्था में प्रबंधक,सचिव, लेखाकार अथवा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित सेवा शर्तों और संबंधित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही राज्य सहायता प्राप्त समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार किए जाने की बात भी उठाई गई है, शिकायतकर्ता ने कार्यालय पंजीयक,सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक साख/सर्कुलर/2021/3683,दिनांक 29 सितंबर 2021 का उल्लेख करते हुए यह जांचने की मांग की है कि बड़सरा उपकेंद्र में की गई नियुक्तियां संबंधित निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं,शिकायत में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि नियुक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अथवा अनुमोदन प्राप्त किया गया था या नहीं, हालांकि,इन प्रावधानों का बड़सरा उपकेंद्र की संबंधित नियुक्तियों पर किस प्रकार और किस सीमा तक लागू होना है,यह संबंधित विभागीय अभिलेखों तथा सक्षम अधिकारियों की जांच से स्पष्ट होगा,इसलिए प्रशासन के लिए केवल शिकायत के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय संबंधित नियमों,स्वीकृत पदों और नियुक्ति प्रक्रिया का परीक्षण करना आवश्यक होगा।

अब कलेक्टर की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें...

बड़सरा धान खरीदी उपकेंद्र में नियुक्तियों को लेकर उठे सवालों के बाद अब जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है,शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की जांच केवल संबंधित समिति प्रबंधन से जवाब लेकर समाप्त न की जाए,बल्कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक,जिला उप पंजीयक अथवा सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से नियुक्तियों के मूल अभिलेखों का परीक्षण कराया जाए, जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि स्वीकृत पद कितने थे,नियुक्तियां किसके आदेश से हुईं, चयन प्रक्रिया क्या थी और क्या नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित मानकों के अनुरूप है,यदि प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए,फिलहाल बड़सरा उपकेंद्र की नियुक्तियों को लेकर उठे सवालों का अंतिम जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा,लेकिन यह मामला एक महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर खड़ा करता है-यदि नियुक्तियां पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई हैं,तो उनकी प्रक्रिया और दस्तावेजों को सार्वजनिक जांच के सामने रखने में संकोच क्यों? और यदि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई,तो स्थानीय युवाओं को अवसर से वंचित रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन शिकायत पर कितनी गंभीरता से संज्ञान लेता है और नियुक्तियों की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच कराता है या नहीं।

मधुमक्खियों के हमले से घायल बच्चों का हाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे विधायक भैयालाल राजवाड़े

स्वामी आत्मानंद स्कूल चर्चा परिसर में अचानक मधुमक्खियों के हमले से मची थी अफरा-तफरी

-संवाददाता-

कोरिया/बैकुंठपुर, 19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

स्वामी आत्मानंद स्कूल चर्चा के परिसर में मधुमक्खियों के अचानक हुए हमले से घायल स्कूली बच्चों का हाल जानने बैकुंठपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े जिला अस्पताल बैकुंठपुर पहुंचे,उन्होंने अस्पताल में उपचाररत बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना, इस दौरान विधायक ने चिकित्सकों से बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति,उपचार की व्यवस्था और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली।



घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक का जिला अस्पताल पहुंचना संकट की इस घड़ी में घायल बच्चों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता के रूप में देखा जा रहा है,उन्होंने बच्चों के परिजनों से आत्मीयता के साथ बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि बच्चों के बेहतर उपचार के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने में वे तत्पर रहेंगे, उन्होंने चिकित्सकों से भी बच्चों के उपचार में विशेष ध्यान देने और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखने की बात कही।

स्कूल परिसर में अचानक मधुमक्खियों ने किया हमला-उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व स्वामी आत्मानंद स्कूल चर्चा के परिसर में अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था,इस अप्रत्याशित घटना से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कई स्कूली बच्चे मधुमक्खियों के डंक से घायल हो गए,घटना के बाद घायल बच्चों को तत्काल जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर पहुंचाया गया,जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार शुरू किया गया,स्कूल परिसर में हुई इस घटना ने एक बार फिर शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और परिसर की नियमित जांच की आवश्यकता को सामने ला दिया है,स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पूरी तरह विद्यालय प्रबंधन और संबंधित विभाग की व्यवस्थाओं पर निर्भर रहते हैं,ऐसे में परिसर में मधुमक्खियों के छत्ते अथवा अन्य संभावित खतरों की समय रहते पहचान और उनका सुरक्षित निराकरण जरूरी है।

कठिन घड़ी में परिजनों से मिले विधायक

जिला अस्पताल पहुंचकर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने घायल बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं को सुना, अचानक हुई घटना के बाद बच्चों के परिजन स्वाभाविक रूप से परेशान थे,विधायक ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और उपचार को लेकर चिकित्सकों से सीधे जानकारी प्राप्त की,उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि बच्चों के उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उनकी स्थिति के अनुसार आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए,उन्होंने बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।

घटना ने स्कूल परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

मधुमक्खियों के हमले की घटना केवल एक आकस्मिक हादसा मानकर नजरअंदाज नहीं की जा सकती,विद्यालय परिसर में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए,इस घटना के बाद यह जरूरी हो गया है कि स्कूलों के भवन,पेड़-पौधों,खेल मैदान और आसपास के क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए,यदि कहीं मधुमक्खियों के छत्ते अथवा अन्य खतरे मौजूद हों, तो उन्हें समय रहते विशेषज्ञों की मदद से सुरक्षित तरीके से हटाने की व्यवस्था की जाए,बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए,चर्चा के स्कूल में हुई इस घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा की आवश्यकता को फिर से रेखांकित किया है,अब जरूरी है कि स्कूल प्रबंधन और संबंधित विभाग ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें,ताकि भविष्य में किसी बच्चे को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

CMYK

अपराध नियंत्रण एवं लंबित मामलों के निराकरण को दे प्राथमिकता-पुलिस अधीक्षक सूरजपुर

क्राइम मीटिंग में लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर थाना-चौकी प्रभारियों को समय-सीमा में निराकरण का दिया सख्त निर्देश

60 एवं 90 दिवस से अधिक लंबित अपराधों,चालान,मर्ग,गुम इंसान एवं शिकायतों के शीघ्र निराकरण पर विशेष जोर,फरार आरोपियों,वारंटियों एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही का निर्देश

अपराध नियंत्रण,लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने दिया सख्त निर्देश





तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग और अपराधों की रोकथाम पर एसपी का फोकस सीसीटीएनएस,ई साक्ष्य, ई-एफएसएल सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा,नशा तस्करी एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश

-संवाददाता-
सूरजपुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल (भापुसे) के द्वारा बुधवार,18 नवम्बर 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,थाना-चौकी प्रभारियों एवं विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों की महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग ली गई,बैठक में पूर्व में जारी निर्देशों के पालन की समीक्षा के साथ जिले में अपराध नियंत्रण,लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण,कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने प्रत्येक थाना-चौकी प्रभारी से अपराधों की विवेचना,लंबित प्रकरणों, चालान, मर्ग, गुम इंसान,शिकायतों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली,उन्होंने प्रकरणों के लंबित रहने के कारणों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए



कि प्रत्येक प्रकरण का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,उन्होंने कहा कि प्रभावी पुलिसिंग का आधार अपराधों की रोकथाम,त्वरित कार्यवाही,गुणवत्तापूर्ण विवेचना,आधुनिक तकनीक का बेहतर उपयोग तथा आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार है,सभी थाना एवं चौकी प्रभारी आम नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका तत्परता एवं प्राथमिकता के साथ निराकरण करें।

60 एवं 90 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष फोकस- पुलिस अधीक्षक ने 60 एवं 90 दिवस से अधिक समय से लंबित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए इनके शीघ्र निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए,उन्होंने प्रत्येक प्रकरण में विवेचना की प्रगति,साक्ष्यों के संकलन,आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चालान प्रस्तुत करने की स्थिति की समीक्षा करते हुए विवेचकों को गुणवत्तापूर्ण,निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित विवेचना करने के निर्देश दिए,इसके साथ ही ई-साक्ष्य सिड, आईआईएफ-1 से 6 तक की प्रविष्टियों तथा कैस एंट्री पेंडिंग चार्जशीट की स्थिति का भी परीक्षण किया गया,सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित डिजिटल प्रविष्टियों एवं अभिलेखीय कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कर रिकॉर्ड अद्यतन रखने के निर्देश दिए।

फरार आरोपियों,वारंटियों एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश- बैठक में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, समंस एवं स्थायी वारंटों की तामीली, निगरानी बदमाशों एवं गुंडा बदमाशों की गतिविधियों की समीक्षा की गई, पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना/चौकी प्रभारियों को फरार आरोपियों एवं वारंटियों की पतासाजी कर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा आदतन अपराधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए,कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एवं जिलाबदर हेतु चिन्हांकित अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने पर भी जोर दिया गया,बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन,सीएसपी विशाल गर्ग,एसडीओपी प्रेमनगर बेर्नार्ड कुजूर,एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा, डीएसपी अजाक रीता नीलम कुजूर,जिले के थाना-चौकी प्रभारी सहित जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारीगण मौजूद रहे।

यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश- पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने सभी थाना-चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं,शराब के नशे में वाहन चलाने तथा लापरवाहीपूर्वक एवं तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाकर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करें, साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़ा करने वालों के विरुद्ध सख्ती बरते ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ-साथ यातायात का सुचारू एवं सुरक्षित संचालन बना रहे।

डिजिटल एवं तकनीक आधारित पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश- आधुनिक तकनीक को प्रभावी पुलिसिंग एवं वैज्ञानिक विवेचना का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सीसीटीएनएस, ई-साईन चालान,ई-साक्ष्य,ई-मेडलीपीआर,ई-एफएसएल सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रगति की समीक्षा की,उन्होंने सभी अधिकारियों एवं विवेचकों को इन प्लेटफॉर्म का नियमित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए,ताकि अपराधियों की पहचान,साक्ष्य संकलन, वैज्ञानिक विवेचना एवं प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जा सके,बैठक में ई-मेडलीपीआर के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सभी विवेचकों द्वारा नियमित सीआरए लॉगिन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए, एसपी ने स्पष्ट किया कि डिजिटल कार्यों एवं ऑनलाइन प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी आवश्यक प्रविष्टियां निर्धारित समय-सीमा में त्रुटिरहित पूर्ण की जाएं।

नशा तस्करी एवं असामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही का निर्देश

पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना-चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं नशा तस्करी के विरुद्ध निरंतर प्रभावी एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए,नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के साथ उनके नेटवर्क की पहचान कर ठोस एवं परिणाममूलक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा,बीट प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय एवं प्रभावी बनाने पर विशेष जोर देते हुए निर्देशित किया कि बीट अधिकारी नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में भ्रमण करें, आम नागरिकों से निरंतर संपर्क एवं समन्वय बनाए रखें तथा क्षेत्र के संदिग्ध व्यक्तियों,आपराधिक गतिविधियों एवं संवेदनशील स्थानों की अद्यतन जानकारी संकलित करें,थाना-चौकी प्रभारी स्वयं इन गतिविधियों की मॉनिटरिंग करें,ताकि अपराधों की रोकथाम के साथ क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

जप्ती माल के निराकरण संबंधी निर्देश

थानों में लंबित जप्ती माल का नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने, प्रकरणों में जप्त वाहनों,मादक पदार्थों,अवैध सामग्रियों एवं अन्य संपत्ति का वर्षवार विवरण तैयार कर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए,माननीय न्यायालय में लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी एवं समन्वय स्थापित कर जप्ती माल के निराकरण में अनावश्यक विलंब न होने दें,साथ ही जप्ती माल के रखरखाव एवं अभिलेखों का व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित करने निर्देशित किया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने कलेक्टोरेट का किया घेराव



-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

अपनी लंबित मांगों और समस्याओं का निराकरण नहीं होने से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 700 से 800 की संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाएं जुटीं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा विभागीय सचिव के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मांगों का जल्द निराकरण करने की मांग की। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं लगातार अपनी समस्याओं एवं लंबित मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन देती आ रही हैं, लेकिन अब तक मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इससे नाराज होकर संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। ज्ञापन के अनुसार, आंदोलन के पहले चरण में 17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय जिला स्तरीय ध्यानाकर्षण धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में 11 और 12 दिसंबर को दो दिवसीय प्रांतीय महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि इसके बाद भी मांगों का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगी।

रनपुर खुर्द में गांजा बेचने ग्राहक का इंतजार कर रहा आरोपी गिरफ्तार,700 ग्राम गांजा जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरगुजा पुलिस की कार्रवाई में कोतवाली पुलिस ने 700 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत सहित कुल मशरूका लगभग 35 हजार रुपये आंकी गई है।



पुलिस के अनुसार 18 नवंबर 2026 को कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रनपुर खुर्द निवासी मो. जफर शाह पानी टंकी के पास गांजा लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की। उसकी पहचान मो.जफर शाह (42 वर्ष), पिता नूर मोहम्मद,निवासी रनपुर खुर्द परसा,थाना कोतवाली अंबिकापुर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे में रखे सफेद रंग के झोले से 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 809/26, धारा 20(ए) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सुमेश सिंह, प्रशिक्षु उप निरीक्षक महेश नेताम,प्रशिक्षु उप निरीक्षक आशी झा,महिला आरक्षक पूनम पैकरा,आरक्षक विवेक राय एवं नितिन सिन्हा सक्रिय रहे। सरगुजा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त और तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

दीपक बैज के स्वागत में उमड़ा कांग्रेस का जनसैलाब, 300 बाइक और 50 से अधिक चारपहिया वाहनों के साथ निकली भव्य रैली

- **जेसीबी से हुई पुष्पवर्षा,ढोल-ताशों और आतिशबाजी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन**
- **'वोट बचाओ-देश बचाओ'अभियान के जरिए लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा का दिया संदेश**





-संवाददाता-
मनेंद्रगढ़,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक दीपक बैज के मनेंद्रगढ़ आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत कर संगठन की ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा के नेतृत्व में हनुमान मंदिर,नदी पार के समीप आयोजित स्वागत समारोह में कांग्रेसजनों का उत्साह देखते ही बना, जेसीबी मशीन से पुष्पवर्षा, ढोल-ताशों की गूंज और आतिशबाजी के बीच प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन किया गया। स्वागत के लिए शहर के प्रमुख मार्गों को फ्लैक्स,बैनर और स्वागत संदेशों से सजाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने स्वागत कार्यक्रम के दौरान हनुमान मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के तहत विशाल वाहन रैली निकाली गई, रैली में लगभग 300 बाइक और 50 से अधिक चारपहिया वाहन शामिल हुए,बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं,पदाधिकारियों और समर्थकों की भागीदारी ने आयोजन को व्यापक स्वरूप प्रदान किया,हनुमान मंदिर,नदी पार से प्रारंभ हुई वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों और बाजार क्षेत्र से गुजरते हुए खेड़िया टॉकीज के समीप स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई,पूरे मार्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला,विशाल वाहन काफिले और जगह-जगह लगे स्वागत बैनरों के बीच मनेंद्रगढ़ में राजनीतिक माहौल पूरी तरह कांग्रेसमय नजर आया।

वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के उत्साह को सराहा- जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का मनेंद्रगढ़ में जिस उत्साह और आत्मीयता के साथ स्वागत किया गया, वह जिले में कांग्रेस संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की एकजुटता को दर्शाता है,पूर्व विधायक भरतपुर-सोनहत गुलाब कमरों ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना होगा,मनेंद्रगढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे रमेश सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कांग्रेसजनों की एकजुटता और विशाल वाहन रैली संगठन की सक्रियता का परिचायक है,कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने महिलाओं,युवाओं और वरिष्ठ कांग्रेसजनों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को सराहनीय बताया। वहीं पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहभागिता ने कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप प्रदान किया।

संगठन की एकजुटता दिखाने का बड़ा अवसर बना आयोजन...

इस आयोजन को केवल प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत तक सीमित नहीं माना जा रहा,बल्कि कांग्रेस संगठन ने इसके जरिए अपनी स्थानीय सक्रियता और कार्यकर्ताओं की एकजुटता का भी प्रदर्शन किया,लगभग 300 बाइक और 50 से अधिक चारपहिया वाहनों की सहभागिता ने कार्यक्रम को बड़े राजनीतिक आयोजन का स्वरूप दिया। खास बात यह रही कि स्वागत से लेकर वाहन रैली के समापन तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर की सक्रिय भूमिका दिखाई दी,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का मनेंद्रगढ़ आगमन सभी कांग्रेसजनों के लिए गौरव और उत्साह का अवसर है,उनके स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां की गई थीं,कार्यकर्ताओं,युवाओं और आम नागरिकों ने जिस उत्साह के साथ स्वागत समारोह एवं वाहन रैली में भागीदारी निभाई,वह संगठन की एकजुटता और सक्रियता का प्रमाण है,उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है,मिश्रा ने आयोजन को सफल बनाने वाले वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, मंडलम एवं सेक्टर अध्यक्षों,युवा कांग्रेस,एनएसयूआई,महिला कांग्रेस तथा समस्त कांग्रेसजनों और नागरिकों के प्रति आभार जताया।

बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

स्वागत एवं वाहन रैली कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा,कोषाध्यक्ष मो.सलीम रजा,उपाध्यक्ष निरंजन जायसवाल, मुकेश अग्रवाल, मो. इमरान खान (टन्नू),दीपक सिंह,राशिद अली एवं देव कुमार सिंह,महामंत्री मो. सईद,राजेश खोपागड़े,शोभना वर्मा,अनिल केरकेट्टा, खानेश्वर प्रसाद (के.डी.),सुनील शुक्ला,रंजीत सिंह रैना एवं रंजन शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे,इसके अलावा सचिव मो. सफी,गुलबशिया,मोहिनी महतो,सितेश्वर सिंह,अर्जुन सिंह,अजीत सिंह,गुलाम असगर,शुभम सिंह,नन्द किशोर एवं संजय यादव,कार्यकारिणी सदस्य अनुज कुमार,धर्मपाल सिंह,हर्ष खटिक,विनोद जांगड़े,रमाकांत सिंह एवं प्रदीप सोनी, प्रवक्ता वाजिद अली एवं अरुण कटारे,मीडिया प्रभारी बादल मलिक एवं अफसर अली,कार्यालय प्रभारी मुदित अग्रवाल,सह कार्यालय प्रभारी अब्दुल ऐफाज तथा सोशल मीडिया प्रभारी सोनू गुप्ता एवं दीपेश केसरवानी मौजूद रहे,इसके अतिरिक्त जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी,वरिष्ठ कांग्रेसजन,मंडलम एवं सेक्टर अध्यक्ष,पार्षदगण,युवा कांग्रेस, एनएसयूआई,महिला कांग्रेस और सेवादल के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे।

ईशा सिंह संग रिश्ते में आई दरार,मां ने लगाया धोखे का आरोप,अब अविनाश मिश्रा ने तोड़ी चुप्पी,बोले...रिश्ते पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं



अविनाश मिश्रा ने ईशा सिंह संग ब्रेकअप की खबरों के बीच प्राइवेसी की अपील की। वहीं,ईशा की मां के कथित ऑडियो में एक्टर पर धोखा देने के आरोप लगे हैं। टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ समय पहले तक दोनों अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थे और उन्होंने रोमांटिक अंदाज में अपने प्यार का इजहार भी किया था। हालांकि,अब दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आने के बाद फैंस हैरान हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अविनाश ने ईशा को धोखा दिया है। इस पूरे मामले पर ईशा सिंह ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है,लेकिन अब अविनाश मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर मीडिया पेजों से उनकी निजी जिंदगी में दखल न देने और प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है।

अविनाश मिश्रा ने पोस्ट में क्या कहा?

अविनाश मिश्रा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक नोट साझा किया। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया और न ही सीधे तौर पर ब्रेकअप की खबरों की पुष्टि की,लेकिन उनका संदेश मौजूदा चर्चाओं से जुड़ा माना जा रहा है। एक्टर ने लिखा,दोस्तों,आइए इस बात को यहीं खत्म करें और आगे बढ़ें। पिछले कुछ हफ्ते कई लोगों के लिए काफी मुश्किल रहे हैं। मीडिया पेजों से अनुरोध है कि वे सभी की निजता का सम्मान करें। रिश्ते निजी होते हैं,सार्वजनिक मनोरंजन नहीं। हर चीज व्यूज और एंगेजमेंट के लिए नहीं होती। आइए लोगों को शांति से जीने दें। अविनाश के इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके और ईशा के रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक्टर ने भले ही ब्रेकअप या धोखा देने के आरोपों पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वह अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहते।

ईशा सिंह की मां के ऑडियो से बढ़ा विवाद

अविनाश और ईशा के रिश्ते में अनबन की अटकलें तब तेज हुईं, जब ईशा ने इंस्टाग्राम पर अविनाश को अनफॉलो कर दिया। इसके बाद ईशा और उनकी मां की ओर से कुछ क्रिप्टिक पोस्ट भी साझा किए गए, जिनकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई। इसी बीच ईशा की मां का एक कथित ऑडियो क्लिप भी वायरल हो गया। इस ऑडियो में ईशा की मां अविनाश पर उनकी बेटी को धोखा देने का आरोप लगाती सुनाई देती हैं। क्लिप में वह यह भी कहती हैं कि ब्रेकअप के बाद ईशा को काफी मानसिक तकलीफ हुई और उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। हालांकि,इस वायरल ऑडियो क्लिप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इसमें लगाए गए आरोपों को फिलहाल दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

ईशा की चुप्पी के बीच अविनाश का संदेश वायरल

इस पूरे मामले में ईशा सिंह ने अब तक सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। वहीं अविनाश के पोस्ट को उनकी पहली प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने अपने संदेश में किसी आरोप का जवाब देने के बजाय लोगों से इस मामले को आगे न बढ़ाने की अपील की है। फिलहाल दोनों की ओर से ब्रेकअप को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में फैंस को इंतजार है कि अविनाश और ईशा इस पूरे मामले पर कब खुलकर अपनी बात रखते हैं।



बिग बॉस 20 में आम्रपाली दुबे का जलवा,निरहुआ बोले...ट्रॉफी लेकर ही लौटेंगी

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे इन दिनों चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 20 में अपने दमदार प्रदर्शन को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। अभिनेत्री के बेबाक अंदाज,समझदारी और गेम खेलने के तरीके की दर्शकों के साथ-साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच भोजपुरी सुपरस्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आम्रपाली के समर्थन में एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में निरहुआ ने अभिनेत्री के खेल की जमकर सराहना करते हुए उनके बिग बॉस 20 की ट्रॉफी जीतने की उम्मीद जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रशंसकों से आम्रपाली को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील भी की है।

आम्रपाली के गेम की तारीफ करते नहीं थके निरहुआ

निरहुआ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में आम्रपाली दुबे की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिग बॉस के घर में आम्रपाली बेहद शानदार तरीके से खेल रही हैं।अभिनेता ने आम्रपाली के निडर अंदाज,बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और अलग स्टाइल की तारीफ की। उनके मुताबिक,आम्रपाली ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को प्रभावित किया है और लगातार लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं।निरहुआ ने कहा कि आम्रपाली जिस आत्मविश्वास के साथ शो में आगे बढ़ रही हैं,वह प्रशंसा के योग्य है। उन्होंने अभिनेत्री के गेम को धुआंधार बताते हुए उनकी सफलता पर खुशी व्यक्त की।

निरहुआ को भरोसा,आम्रपाली ही जीतेंगी ट्रॉफी

वीडियो में निरहुआ ने आम्रपाली दुबे की जीत को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सीजन की ट्रॉफी आम्रपाली ही अपने नाम करेंगी।निरहुआ के अनुसार,अभिनेत्री जिस तरह शो में प्रदर्शन कर रही हैं, उसे देखते हुए उनके विजेता बनने की मजबूत संभावना है।उन्होंने कहा कि आम्रपाली का खेल दर्शकों को पसंद आ रहा है और प्रशंसकों का समर्थन उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।इसके साथ ही उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और अपने प्रशंसकों से अपील की कि वे अभिनेत्री का हौसला बढ़ाएं और वोटिंग में उनका समर्थन करें।

भोजपुरी इंडस्ट्री के दूसरे कलाकार भी कर रहे समर्थन

आम्रपाली दुबे को केवल निरहुआ का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे कलाकार भी उनके समर्थन में सामने आए हैं।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार,अभिनेता मनोज सिंह टाइगर ने भी प्रशंसकों से आम्रपाली को वोट देने की अपील की है।उन्होंने भोजपुरी दर्शकों से अभिनेत्री का समर्थन करने और ट्रॉफी उत्तर प्रदेश-बिहार लाने की उम्मीद व्यक्त की।

निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी रही है सुपरहिट

भोजपुरी सिनेमा में निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी सबसे लोकप्रिय ऑनस्क्रीन जोड़ियों में गिनी जाती है।दोनों ने कई सफल भोजपुरी फिल्मों में साथ काम किया है। आम्रपाली ने वर्ष 2014 में फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ दिनेश लाल यादव मुख्य भूमिका में थे।फिल्म की सफलता के बाद दोनों की जोड़ी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गई। इसके बाद उन्होंने निरहुआ रिक्शावाला 2,पटना से पाकिस्तान,बॉर्डर और अन्य फिल्मों में साथ अभिनय किया।



कॉफी विद करण 9 में अनन्या बिड़ला का मजेदार जवाब,आमिर खान का नाम सुन छूटी हंसी

फिल्म निर्माता करण जौहर का लोकप्रिय चैट शो कॉफी विद करण सीजन 9 एक बार फिर चर्चा में है। इस बार शो में मशहूर बिजनेसवुमन,गायिका और उद्यमी अनन्या बिड़ला ने अपने बेबाक और मजेदार जवाबों से सभी का ध्यान खींच लिया। शो के रैपिड फायर राउंड में जब करण जौहर ने अनन्या बिड़ला से पूछा कि किसी मैट्रिमोनियल ऐप के प्रचार के लिए वह किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को चुनेंगी,तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे सुपरस्टार आमिर खान का नाम ले लिया। उनका जवाब सुनकर करण जौहर और अभिनेत्री अनन्या पांडे कुछ पल के लिए हैरान रह गए। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कॉफी विद करण का रैपिड फायर राउंड हमेशा से शो का सबसे चर्चित हिस्सा रहा है। इसमें मेहमानों से कई दिलचस्प और कभी-कभी असहज करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। इस बार अनन्या बिड़ला ने अपने जवाबों से माहौल को मजेदार बना दिया। करण जौहर ने उनसे पूछा कि यदि किसी मैट्रिमोनियल ऐप के विज्ञापन के लिए बॉलीवुड के किसी कलाकार का चयन करना हो, तो वह किसे चुनेंगी। इस सवाल पर अनन्या बिड़ला ने तुरंत आमिर खान का नाम लिया। उनके जवाब ने करण जौहर और अनन्या पांडे को चौंका दिया।

13 साल बाद साथ आए श्रद्धा आर्या-गौरव खन्ना

अभिनेत्री श्रद्धा आर्या पहली बार एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के आगामी शो दिल की बेवफाइयां में गौरव खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। अभिनेत्री ने बातचीत में अभिनेता के साथ स्क्रीन शेयर करने का अनुभव साझा किया। श्रद्धा आर्या ने बताया कि तेरह-चौदह साल पहले उन्होंने और गौरव ने साथ में एक इवेंट किया था। उन्होंने कहा, मेरी और गौरव की दोस्ती नई नहीं है,बल्कि बहुत पुरानी है। करीब 13-14 साल पहले हमने साथ में एक इवेंट किया था। उस समय की हमारी तस्वीरें फिर से सामने आई हैं। इसके बाद हम दोनों ने एकता कपूर की दीपावली पार्टी में उन्हीं पुरानी तस्वीरों वाले पोज को रिक्रिएट करके फोटो खिंचवाई। एकता कपूर ने भी वो तस्वीरें शेयर की,जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया था। अभिनेत्री ने आगे गौरव खन्ना के साथ एक पुराना किस्सा शेयर करते हुए कहा,कई लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हमने पहले साथ काम किया है। हमने कई साल पहले दूसरे चैनल के लिए लुक टेस्ट भी दिया था,लेकिन वो बात बन नहीं पाई। मुझे लगता है कि दिल की बेवफाइयां ने हमें साथ काम करने का एकदम सही मौका दिया है। शो दिल की बेवफाइयां शादी के कई साल बाद के रिश्ते, अनकही बातों और अधूरी इच्छाओं के इर्द-गिर्द घूमता है। इस शो के जरिए यह सवाल उठाया गया है कि एक ही शादी में एक साथी के लिए सब काफी होता है,जबकि दूसरे के दिल में काश क्यों रह जाता है। श्रद्धा आर्या ने शो के बारे में समझाते हुए कहा,मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए इस शो का अंदाज समझना बेहद जरूरी है।



खेल-समाचार

भारत की मेजबानी में एशियाई हॉकी का महाकुंभ

भोपाल में दिग्गज टीमें आमने-सामने, 10 दिन तक दिखेगा दमखम

भोपाल,19 नवम्बर 2026। एमपी की राजधानी भोपाल में अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी का रोमांच शुरू हो गया है। नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को सीएम मोहन यादव ने महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी एक बार फिर अपने स्वर्णिम दौर की ओर लौट रही है। टूर्नामेंट में भारत समेत छह देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान भारत और मलेशिया की टीमें आमने-सामने हैं।

हॉकी के अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का भोपाल में आगाज

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्घाटन मुकाबले से पहले भारत और मलेशिया की खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर भारतीय महिला हॉकी टीम की स्पोर्ट्स जर्सी का विमोचन भी किया गया।



मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए यह खेलों का स्वर्णिम दिवस है। प्रदेश में पहली बार इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय एशियन चैंपियनशिप का आयोजन होना खिलाड़ियों,हॉकी प्रेमियों और प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। प्रतियोगिता 19 से 28 नवंबर तक चलेगी।

मोदी के नेतृत्व में खेलों का सकारात्मक माहौल

डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के हॉकी स्टेडियम और स्पोर्ट्स एरीना में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है।

भोपाल में 28 नवंबर तक हॉकी का रोमांच 19 से 28 नवंबर तक होंगे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले

भारत सहित छह देशों की महिला हॉकी टीमें ले रही हिस्सा। अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हो रही प्रतियोगिता।

छह देशों की टीमें दिखाएंगी दम

मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करेंगे। मध्यप्रदेश की मेहमाननवाजी की परंपरा के अनुरूप सभी टीमों का स्वागत किया जाएगा।

ब्लैक स्टिक्स पर भारत की शानदार जीत



ऑकलैंड,19 नवम्बर 2026। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड दौरे की शानदार शुरुआत करते हुए मेजबान ब्लैक स्टिक्स को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। गुरुवार को ऑकलैंड के लॉयड एल्समोर हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने शुरुआती पिछड़ने के बावजूद जबरदस्त वापसी की और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत के लिए उत्तम सिंह,शारदानंद तिवारी और कप्तान संजय ने एक-एक गोल किया। वहीं,न्यूजीलैंड की ओर से जोंटी एल्म्स और सैम हिहा ने गोल दागे।यह मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 2026 इंडिया-न्यूजीलैंड सेंचुरी ऑफ स्पोर्टिंग यूनिटी कार्यक्रम का हिस्सा था। भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में आक्रामक खेल,बेहतर तालमेल और मजबूत रक्षात्मक प्रदर्शन के दम पर मेजबान टीम को हराया। मुकाबले के अंतिम मिनटों में न्यूजीलैंड ने वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने बढ़त बरकरार रखी। मुकाबले की शुरुआत में दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली।

विश्व चैंपियनशिप में भारत की ऐतिहासिक जीत

सोनलबेन पटेल ने किया कमाल

नई दिल्ली,19 नवम्बर 2026। भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनलबेन पटेल ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित आईटीटीएफ विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सोनलबेन विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने महिला एकल क्लास-3 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को यह ऐतिहासिक सफलता दिलाई। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को सोनलबेन की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनलबेन पटेल को बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय पैरा टेबल टेनिस के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक जीतकर



सोनलबेन ने भारतीय खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। मांडविया ने सोनलबेन के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर उन्होंने भारतीय पैरा टेबल टेनिस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। खेल मंत्री ने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त कीं।थाईलैंड के पटाया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 39 वर्षीय सोनलबेन पटेल ने महिला एकल क्लास-3 वर्ग में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने दुनिया की प्रमुख पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों का सामना किया। शुरुआती मुकाबलों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया।नॉकआउट चरण के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सोनलबेन का सामना दक्षिण कोरिया की ली मी-ग्यू से हुआ। दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी दो बार एशियाई पैरा खेलों में पदक जीत चुकी हैं। मुकाबला काफी रोमांचक रहा और दोनों खिलाड़ियों के बीच पांच गेम तक संघर्ष देखने को मिला। सोनलबेन ने पहला गेम 12-10 से जीतकर बढ़त बनाई,लेकिन अगले दो गेम 4-11 और 9-11 से हार गईं। इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए चौथा गेम 11-9 से अपने नाम किया। निर्णायक पांचवें गेम में सोनलबेन ने 11-7 से जीत दर्ज करते हुए मुकाबला 3-2 से जीत लिया।

कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी अम्बिकापुर,सरगुजा छत्तीसगढ़

Email - cgayushsarguja@gmail.com फोन/फैक्स नं. 07774-220199

क्रमांक/क्रय/2026/1921-25 अम्बिकापुर, दिनांक 16.11.26

// निविदा//

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/क्रय/2026/ 1921-25 दिनांक 16.11.26 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय अम्बिकापुर छ.ग. के पेंशनर्स मरीजों के लिए फुटकर में आयुर्वेद औषधि प्रदाय हेतु सीमित मात्रा में दवाईयां आवश्यकतानुसार स्थानीय विक्रेतओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।

छ.ग. शासन के भंडार, क्रय नियम लागू होगा। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) 500.00 रूपये नगद भुगतान कर निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है ।

1. निविदा बिक्री तिथि 16.11.2026 से 03.12.2026 3 PM तक कार्यालय समय पर ।
2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 03.12.2026 3 PM तक कार्यालय समय पर ।
3. निविदा खोलने की तिथि 03.12.2026 शाम 4 PM बजे ।

स्थान - कार्यालय जिला आयुष अधिकारी, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय गंगापुर अम्बिकापुर,जिला सरगुजा छ.ग. के प्रथम तल पर ।

जी.नं.- 262704575/1

जिला आयुष अधिकारी
जिला - सरगुजा छ.ग.

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ- 6 /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण प्रबोध तिवारी आ.स्व. दामोदर तिवारी, राहुल तिवारी आ. प्रबोध तिवारी, दोनों निवासी नालापारा गंगापुरखुर्द अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक क्र. 01 की पत्नि एवं 02 की माता मंजू देवी के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ0पु, मोहल्ला गंगापुरखुर्द नालापारा स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 50/1 रकबा 700 वर्गमीटर भूमि है। भूधारक मंजू देवी की मृत्यु दिनांक 14.11.2025 को हो गई है तत्पश्चात आवेदकगण द्वारा आवेदित भूमि से मृत्तक मंजू देवी का नाम विलोपित करते हुये स्वयं के नाम से फौती नामांतरण किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा मृत्तक मंजू देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक - 23/11 11/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं । नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 04/11/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं अ.लिनटिका टोप्पो आत्मज स्व0 मिखाएल टोप्पो, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम - कलिया, पोस्ट - बच्छरांव, थाना व तहसील बगीचा,जिला-जशपुर (छ0ग0) उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूँ । यह कि मेरे आधार कार्ड क्रमांक 322501878647 में मेरा नाम आलिंटिका दास अंकित है जो कि गलत है सही नाम अ.लिनटिका टोप्पो जो कि सत्य व सही है। मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम अ.लिनटिका टोप्पो है जो कि सत्य है । यह कि आधार कार्ड में अलिंटिका दास को विलोपित करते हुये सही नाम अ.लिनटिका टोप्पो (ALINTIKA TOPPO) अंकित करने हेतु स्वयं का शपथ पत्र निष्पादित है।

सपथकर्ता
अलिनटिका टोप्पो

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय,इंडस्ट्री डायलॉग में 1.07 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव...

डेढ़-दो वर्षों में साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में काम शुरू : मुख्यमंत्री साय

- नई औद्योगिक नीति से देश-विदेश के निवेशकों का छत्तीसगढ़ पर बढ़ा भरोसा, निवेश को धरातल पर उतारने पर सरकार का विशेष जोर
- सेमीकंडक्टर,एआई,डेटा सेंटर,पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश का नया केंद्र बनने की ओर छत्तीसगढ़
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 24 उद्योग समूहों को सौंपे इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर, लगभग 20 हजार युवाओं के लिए सृजित होंगे रोजगार के अवसर





रायपुर,19 नवम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति और निवेश अनुकूल वातावरण के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। आज नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में प्रदेश को 24 उद्योग समूहों के माध्यम से 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावित निवेशों से प्रदेश के लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे और प्रदेश में निवेश के प्रति उनके विश्वास का स्वागत किया। उन्होंने उद्योगपतियों से आत्मीय संवाद कर उनके सुझाव सुने तथा उद्योग स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए आवश्यक संसाधन,बेहतर अधोसंरचना, पर्याप्त बिजली-पानी,कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और बाजारों तक पहुंच का भी लाभ मिलता है। हमारी सरकार इन विशेषताओं को बड़े औद्योगिक निवेश,स्थानीय रोजगार और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

बदलते बस्तर में निवेश और विकास की नई संभावनाएं : मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई से बस्तर की परिस्थितियों में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। सुरक्षा बलों के साहस और दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा का यह नया वातावरण बस्तर सहित पूरे प्रदेश में औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। आने वाले समय में उद्योग,पर्यटन,कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों के विस्तार से बस्तर के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

चित्रकोट को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य बनाने की तैयारी : मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन आधारित निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। विशेष रूप से बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने बताया कि चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके साथ बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़कर समग्र पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रयास है। इससे होटल,होम-स्टे,परिवहन, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में निवेश तथा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि,वनोपज और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों पर विशेष फोकस : मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और वेलनेस सेक्टर में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। बस्तर में स्थानीय उत्पादों की पहचान कर क्लस्टर आधारित मॉडल से उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन की संपूर्ण व्यवस्था विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान अब ऊर्जा, खनन, इस्पात और सीमेंट जैसे परंपरागत क्षेत्रों से आगे बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य के उद्योगों में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नई औद्योगिक विकास नीति, निवेशकों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। उद्योग विभाग निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में परिवर्तित करने तथा निवेशकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एवं आरडीबी ग्रुप के चेयरमैन विनोद दुगड़ ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सुखदेव नाहर, सतीश पारख, बजरंग गोयल सहित देशभर से आए उद्योगपति और निवेशक उपस्थित थे।

निवेश प्रस्तावों से आगे बढ़कर धरातल पर उतर रही औद्योगिक परियोजनाएं

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अगले महीने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवधि में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग डेढ़-दो वर्षों में प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि निवेश प्रस्ताव अब वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं का स्वरूप ले रहे हैं। प्रदेश में लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के प्रति निवेशकों का भरोसा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के रूप में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारना और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करना है।

छत्तीसगढ़ में संसाधन भी हैं, संभावनाएं भी और निवेशकों के साथ खड़ी सरकार भी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि प्रदेश की रत्नगर्भा धरती प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहां उद्योगों के विस्तार के लिए व्यापक संभावनाएं हैं और राज्य सरकार निवेशकों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में विकसित छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त,आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जाएगा। मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेशकों के लिए जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है। समय पर निराकरण नहीं होने की स्थिति में प्रकरण को स्वचालित रूप से उच्च स्तर पर भेजने और निर्णय से असंतुष्ट आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

निवेशकों के लिए सरल प्रक्रियाएं पारदर्शी व्यवस्था और त्वरित निर्णय

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को निरंतर सरल बना रही है। सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सकें। उन्होंने बताया कि जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इससे व्यापार और उद्योगों के लिए अधिक विश्वासपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है। सरकार का प्रयास है कि उद्यमी अनावश्यक प्रक्रियाओं में समय लगाने के बजाय उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

छत्तीसगढ़ में 4 आईएएस अफसरों को प्रमोशन

सुबोध सिंह-निहारिका बारिक अपर मुख्य सचिव बने, रोहित यादव और कमलप्रीत सिंह प्रमुख सचिव बनाए गए



रायपुर,19 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। 1997 बैच के सुबोध कुमार सिंह और निहारिका बारिक को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं, 2002 बैच के डॉ. रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को प्रमुख सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक,केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 13 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोशन के लिए दो-दो रिक्तियां तय की थीं। इसी आधार पर चारों अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है।

कारोबारी दीपक टंडन की जमानत याचिका खारिज,न्यूज पोर्टल की आड़ में वसूली,एआई से तस्वीरें एडिट कर बनाता था आपत्तिजनक कंटेंट



बिलासपुर,19 नवम्बर 2026। एआई के जरिए लोगों की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाने और न्यूज पोर्टल की आड़ में ब्लैकमेलिंग कर वसूली करने के आरोपी होटल कारोबारी दीपक टंडन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बिलासपुर जिला कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने आरोपी को रायपुर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से जब्त 2 मोबाइल की जांच में कई आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप मिलने का दावा किया गया है। इस केस के बाद टंडन के खिलाफ अलग-अलग मामलों में 5 और एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर लोगों की तस्वीरें लेकर एआई टूल की मदद से उनमें छेड़छाड़ करता था। इसके बाद आपत्तिजनक तस्वीरों के साथ भ्रामक खबरें अपने न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। इन खबरों और तस्वीरों को हटाने के नाम पर संबंधित लोगों पर रुपए देने का दबाव बनाया जाता था। मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

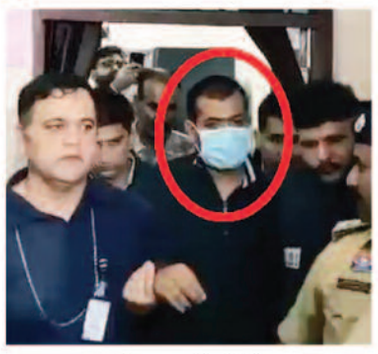
एआई से एडिट कर अश्लील तस्वीरें बनाने का आरोप

तिफरा के महाराणा प्रताप नगर निवासी मणिशंकर पांडेय ने 29 अक्टूबर को सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी तस्वीरों को एआई से एडिट कर अश्लील और भ्रामक कंटेंट तैयार किया गया। इसके बाद उसे न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक,इस पूरे मामले का उद्देश्य उनकी सामाजिक छवि खराब करना और दबाव बनाकर रुपए ऐंठना था।

14 दिन जेल में रहेगा सौरभ चंद्राकर...ईडी ने नहीं मांगी रिमांड

भूपेश को 508 करोड़ पहुंचाने का दावा करने वाले शुभम पर वारंट जारी

रायपुर,19 नवम्बर 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को आज रायपुर के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जांच एजेंसी ईडी ने दोबारा रिमांड नहीं मांगी। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सौरभ चंद्राकर 2 दिसंबर तक जेल में रहेगा। वहीं,इस केस की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों तक पहुंचने की खबर है। बुधवार को पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था। वहीं, इस मामले में फरार चल रहे शुभम सोनी के खिलाफ ईडी की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया है। शुभम सोनी नवंबर 2023 में एक वीडियो जारी कर चर्चा में आया था। उसने खुद को महादेव ऐप का असली मालिक बताया था। उसका दावा था कि साल 2021 में भिलाई में इस ऐप की शुरुआत की गई थी। उसने यह भी आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर वह दुबई गया था और प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे। हालांकि,ये शुभम सोनी की ओर से लगाए गए आरोप थे।



बयान और दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ : ईडी के अधिकारियों ने सौरभ से उसके सहयोगियों के बयानों, डिजिटल डेटा और विदेश में मौजूद कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि सट्टे से हासिल रकम किस रास्ते से विदेश पहुंची और इस नेटवर्क में किन लोगों की क्या भूमिका रही।

3500 करोड़ की संपत्ति अटैच, विदेश में 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी : ईडी की जांच में अब तक करीब 190 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। एजेंसी करीब 2000 करोड़ रुपए जब्त या फ्रीज कर चुकी है। वहीं करीब 3500 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। इसमें लगभग 1800 करोड़ रुपए की विदेश में स्थित संपत्तियां शामिल हैं। दुबई में 22 अचल संपत्तियां भी अटैच की गई हैं। ईडी इस मामले में 116 आरोपियों के खिलाफ 6 अभियोजन शिकायतें दाखिल कर चुकी है। सौरभ चंद्राकर इस केस में ईडी की ओर से गिरफ्तार किया गया 15वां आरोपी है।

200 करोड़ की शादी का खर्च भी जांच के दायरे में

ईडी के मुताबिक, फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में सौरभ चंद्राकर की शादी पर करीब 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए गए थे। शादी में शामिल होने के लिए नागपुर से तीन चार्टर्ड विमान भेजे गए थे। एजेंसी ने इस खर्च की रकम का पता लगाने के लिए इवेंट कंपनी,होटलों और अंगड़िया फर्मों के जरिए हुए लेन-देन की जांच की। शादी में शामिल मेहमानों की सूची से सिंडिकेट के प्रबंधन से जुड़े लोगों की पहचान करने में भी मदद मिली।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली डंप से एके-47 रायफल सहित गोला-बारूद व विस्फोटक सामग्री बरामद

दंतेवाड़ा,19 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में थाना बारसूर के ग्राम वाकेली एवं ग्राम बुरदुम के जंगल पहाड़ी इलाके में गुरूवार को नक्सलियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गये हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्रियों का बड़ा नक्सली डम्प सुरक्षाबलों ने बरामद किया है। सुरक्षाबलों द्वारा बरामद सामग्री में एक एके-47 रायफल, एक मैगजीन और 25 एके-47 राउंड शामिल हैं। इसके अलावा एक .303 रायफल, दो बीजीएल लॉन्चर बंदूक, एक 315 बोर बंदूक और एक भरमार बंदूक भी बरामद की गई है।

गोला-बारूद एवं अन्य सामग्रियों में 34 .303 राउंड, 28 बीजीएल राउंड, सात बीजीएल सेल, एक वॉकी-टॉकी सेट,



लगभग पांच मीटर कोडेक्स वायर, एक कुकर बम और एक वॉकी-टॉकी चार्जर शामिल हैं।इसके साथ ही देशी मेड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। बरामद सभी नक्सल डुप की सामग्रियों को सुरक्षाबलों ने सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की गई।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ...

हाईकोर्ट ने हटाई रोक,2292 पदों पर होगी परीक्षा

बिलासपुर,19 नवम्बर 2026। प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लंबे समय से बना असमंजस अब खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही 2,292 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शर्तों को चुनौती दी थी। उनकी ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर में दिव्यांगजनों



के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान निर्धारित है। इसके बावजूद भर्ती विज्ञापन में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रक्रिया से बाहर रखा गया। इसे संविधान से मिले अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए याचिका दायर की गई थी।

मामले में कोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पोर्टल खोलकर पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया था। इसके बाद भर्ती परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी रही। भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली थी। पहले सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के चलते परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ।

अब हाईकोर्ट से स्थगन हटने के बाद परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। विभाग की ओर से पहले घोषित नई परीक्षा तिथियों के अनुसार आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें पदों का वर्गीकरण इस प्रकार हैं।

अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

हेट स्पीच के 14 मामलों में राहत मिली रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटी

रायपुर,19 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने से संबंधित शर्त भी हटा दी गई है। ये सभी मामले वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर दिए गए उनके बयान से संबंधित हैं। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को इन 14 मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में जेल में बंद होने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। उनकी अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को खत्म हो



गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि वे दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में सरेंडर करें। इस आदेश के पालन में बघेल ने 11 नवंबर को सरेंडर कर दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि जिन अपराधों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, उनमें बघेल सात महीने से ज्यादा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं।

देवउठनी एकादशी पर रायपुर में सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद...

कलेक्टर ने स्थानीय अवकाश किया घोषित,बैंक,कोषालय और उपकोषालय खुले रहेंगे

रायपुर,19 नवम्बर 2026। रायपुर में देवउठनी एकादशी पर आज पूरे जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर शहर और नवा रायपुर के शासकीय कार्यालयों के लिए छुट्टी घोषित की है। वहीं,कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने रायपुर जिले के बाकी क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में भी अवकाश का आदेश जारी किया है। इस तरह कल पूरे रायपुर जिले में सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। यह अवकाश मंत्रालय, नवा रायपुर सहित रायपुर शहर और जिले के अन्य शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं पर लागू होगा। हालांकि, बैंक,कोषालय और उपकोषालय इस स्थानीय अवकाश के दायरे में नहीं आएंगे। इनकी व्यवस्था सामान्य रूप से जारी रहेगी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)